0k"k % 39(vad % 3(ekp % 2017(eY; % n l #Ik,

सीटू मजदूर

सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की रैली

बंगलुरु; 28 जनवरी, 2017

सीटू महासचिव तपन सेन संबोधित करते हुए

(रिर्पोट पृ० 4)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

बंगलुरु; 28–29 जनवरी, 2017

(रिपोर्ट पृ0 4)

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk e[ki=

मार्च 2017

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,एम एल मलकोटिया, पुष्पेन्द्र त्यागी

अंदर के पृष्ठों पर

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मजदूरों की प्रभावशाली रैली 4

संसद से 7

मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्ज की हड़ताल मुश्किल में 9

बी एफ आइ आर 10

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 13

आइ एल ओः सामाजिक अंशांति का खतरा –ए के पद्मनाभन 15

परियोजना कर्मी 17

केरल के काजू मजदूरों का आंदोलन 21

उद्योग व क्षेत्र 22

कामकाजी महिला 24

नोटबंदी के खिलाफ अभियान 25

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 26

सम्पादकीय

सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए उतरे समूचा मजदूर वर्ग

1 Qjojh dk çLrkfor eknh ljdkj dk o"kZ 2017&18 dk ctV u dkæh; lkoZtfud {ks= miØeksa dk fjd,M fofuos'k dk çko/kku fd;k gS A bl çko/kku dk ewY;kadu thMhih dk 3-2 izfr'kr dk foÙkh; ?kkVk dk iwjk dj fy, dkæh; lkoZtfud {ks= dk fgLlk dk cp dj 72500 djkM :i;s tqVk, tk,xk A bldk fy, vYik'k fofuos'k] j.kuhfrd fcØh] lk/kkj.k chek dkfu;ksa dk lkFk jkyos dh 'kk[kkvksa& vkbZvkjlhVhlh] bjd,u rFkk vkbZvkj,Qlh dks 'kkfey djus ckrkj esa lqfo/kk) djds jkyos dh lokvksa] fuek.k rFkk foÙkh; lsok/ku tqVkus okyh dkfu;ksa dk Hkkjh futhdj.k dh 'k#vkr dh tk;sxh A

lsln esa ckyrs gq;s dkæh; foÙk e=h us dgk fd **dkæh; lkoZtfud {ks=ksa dk j.kuhfrd fofuos'k dk vk/kkj equkQk ugha gS A uhfr vk;ksx us bldk fy, dkæh; lkoZtfud m|ksxksa dks *mPp rFkk fuEu çkFkfedrk* esa oxhZ—r fd;k gS A**

bl fouk'kdkjh rFkk fo/oaldkjh dne dk f[kykQ lkoZtfud m|ksxksa dk etnwjksa us 28&29 tuojh 2017 dks cksxykj esa lEesyu dj ns'k0;kih vfHk;ku] çn'kZuksa vkSj gMrky ij tkus dks dk;Øe ?kksf"kr dj fn;k gS A

vktknh dk ckn dk Hkkjr dk vkfFkZd rFkk vk|kfxd fodkl esa dkæh; lkoZtfud {ks= us urRodkjh Hkwfedk fuckgh gS A blus mHkjrs gq, iwathifr;ksa dk iqth fuek.k] m|ksxksa dk fuek.k rFkk LFkkf;Ro Hkjh mRiknu vof/k] dk fy, t:jh lkoZtfud fuos'k miyC/k djk;k A vly esa rks ;g 1945 dks c,Ecs lyku Fkk ftldh tfj;s iwathifr;ksa dk leg us Lor= Hkkjr dk vkfFkZd&vk|kfxd fodkl dk [kkdk rS;kj djds dksxl ikVh dks fn;k Fkk A cgjgky lkoZtfud {ks= dh dk;eh us] Jfed Hkkxhnkjh dk lkFk vkRefuHkj Hkkjr dk vkfFkZd fodkl dk vk/kkj rS;kj fd;k A etcr ykdrkf=d Hkkjr dh vkj ;k=k dk ekxZ ç'kLr fd;k A Hkkjr dk etnwj oxZ us vktkn Hkkjr esa lkoZtfud {ks= dk fuek.k esa vge Hkwfedk fuckgh A

bl rjg lkoZtfud {ks= tgk iwathoknh edln ls vk|kfxd rFkk vkfFkZd fodkl esa dkæh; Hkwfedk esa Fkk ogha etnwj oxZ dk fy, bldk edln tuoknh Fkk A exj fojkV iwath fuek.k dk ckn vc Hkkjr dk iwathifr;ksa us jkLrk cny fn;k gS A vc os lkoZtfud {ks= dh cuh cukbZ vk|kfxd bdkbZ;ksa vkSj mudh fojkV lifÙk dks gMi yuk pkgrs gS A ujfLEgkjko ljdkj dh vxvkbZ okyh mlh dksxl ikVh us blh bjknk ls mnkjhdj.k] futhdj.k] o'ohdj.k dh uomnkj uhfr;ksa dk <kpk dks vey esa mrkjkA

uomnkj uhfr;ksa dk vkxeu dk lkFk gh mudh rh[k vkSj dkjxj fojks/k dk fy, ns'k esa ls;ä VsM ;fu;u vknksyu dk flyflyk vkjEHk gqvk gS A ns'k0;kih vknksyuksa vkSj jk"V0;kih gMrkyksa dh J`[kyk 'ks: gq;h gS A iwathoknh efge dk fo#) etnwj oxZ vkSj vke turk dh lk>h ,drk ls NMsx, bu l?k"kksZa esa lkoZtfud {ks= dk mi क्रम Hkkjr dk tuoknh vknksyu dk dæ esa jgs gS A

lkoZtfud m|ksx Hkkjr dk egurd'kZ dks xk<s ilhus dne ij [kMsh dh x;h lifÙk gS A bUgs ljdkj dh uhfr;ksa dh enn ls futh dkjikjksa dkfu;ksa ywV jgh gS A bl jkdus dk fy, lkoZtfud {ks= dk etnwjksa us ls;Dr :Ik ls dN igy dh gS A blh dkSkFk lEp etnwjoxZ dks Hkh vfHk;kuksa] vknksyuksa esa mrkjuk gksxk A egurh turk dk ckdh tuoknh fgLlksa dk lkFk feydj bl tehuh ,drk dks vkSj 0;kid djuk gksxk A lhVw dk ikl bldk fy, t:jh ofpkfjd] jktuhfrd vk/kkj gS] mls bl fn'kk esa vxzlj Hkwfedk fuHkkuh gksxh A

सार्वजनिक क्षेत्र

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की शानदार रैली

केन्द्रीय बजट: घातक निजीकरण की मुहिम
राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी करो!

स्वदेश देव रॉय

सीटू, एटक, एच.एम.एस., इन्टक, एल.पी.एफ., ज्वाइन्ट एक्शन फ्रन्ट (जे.ए.एफ.) और कोओर्डीनेशन कमेटी ऑफ सी.पी.एस.यू. हैदराबाद द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेन्शन बेंगलुरु में 29 जनवरी 2017 को सम्पन्न हुआ। जिसमें देश के सभी प्रमुख सार्वजनकि उपक्रमों से आए 400 से अधिक नेतृत्वकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन इससे पहले कि हम सम्मेलन में हुई चर्चा और निर्णयों की विवेचना करें, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इसकी अग्रदूत बनी एक विशाल घटना जिसकी योजना सम्मेलन से पूर्व बनी के बारे में लिखें।

जे.ए.एफ. द्वारा बेंगलुरु शहर में 28 जनवरी 2017 को आयोजित एक विशाल रैली देखने को मिली। अतीत की याद में पहली बार 'भारत की सिलीकॉन वैली,' बेंगलुरु शहर की सड़कों पर हाथों में लाल झण्डे, बैनर तथा भारी संख्या में प्लेकार्ड लेकर मैसूर एवं बेंगलुरु के बी.ई.एम.एल., एच.ए.एल., बी.ई.एल., भेल, आई.टी.आई. वी.आई.एस.एल. भद्रावती से आए 8 हजार से अधिक मजदूरों ने मोदी सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारे बुलन्द करते हुए रैली निकाली। यह रैली बेंगलुरु शहर के केन्द्र में स्थित फ्रीडम पार्क पहुँचकर विशाल जनसभा में तब्दील हो गयी। इस जनसभा को अन्य नेताओं के अलावा इंटक अध्यक्ष संजीव रेड्डी, सीटू महासचिव तपन सेन, एटक के एच. महादेवन और जे.ए.एफ. बेंगलुरु के मीनाक्षी सुन्दरम् ने सम्बोधित किया।

इस विशाल लामबन्दी के लिए प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक है, देश की रक्षा में सामरिक महत्व के उत्पादों का निर्माण करने वाले बेंगलुरु आधारित सार्वजनिक उपक्रमों की स्ट्रेटेजिक सेल के माध्यम से निजीकरण करने की मोदी सरकार की आक्रामक मुहिम। भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम में एच.ए.एल. और बी.ई.एल. का भारी योगदान है। और बी.ई.एम.एल. टाट्रा जैसे युद्धक वाहनों और खनन उपकरणों का भी निर्माता है। आधुनिक युद्ध के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संचार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन बी.ई.एल. करती है। भारतीय वायु सेना के इस्तेमाल के लिए लड़ाकू विमानों का निर्माण एच.ए.एल. करती है। इसलिए एच.ए.एल., बी.ई.एल. और बी.ई.एम.एल. जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरनाक है और सीधे–सीधे आर्थिक कहर बरपाना है।

रैली के अगले दिन बी.ई.एल. बेंगलुरु के सभागार में आयोजित पूरे एक दिन चले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन इंटक अध्यक्ष संजीवा रेड्डी ने किया और सीटू के महासचिव तपन सेन ने मुख्य भाषण दिया। कुल 31 प्रतिनिधियों ने विचार–विमर्श में भाग लिया। विचार–विमर्श के दौरान चर्चा में भाग लेने वाले प्रहतनिधियों ने विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन में स्वीकृत घोषणा–पत्र और उसमें तय किए गए कार्रवाही के कार्यक्रमों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

बहुमुखी हमलेः निजीकरण, बन्दी और केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का विघटन

यह चौंकाने वाला और गंभीर रूप से निन्दनीय है कि मोदी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के शेष दिनों के दौरान सार्वजनिक उद्यमों की इक्विटी बेचकर एकत्रित फण्ड बढ़ाने के लिए संदिग्ध वाणिज्यिक तौर तरीकों का पागलपन का अभियान शुरु कर दिया है। सम्बन्धित सी.पी.एस.यू. के हितों को दरकिनार करते हुए, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अनदेखा करते हुए सरकार निहायत ही संकीर्ण सोच के तहत सी.पी.एस.यू. को बेचने के लिए एक बीमार तरीके, एक्सचेज ट्रेड़िड़ फंड का रास्ता अपना रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस श्रेणी में इक्विटी बेचकर रु० 6,000 करोड़ एकत्र करने का लक्ष्य बनाया है और करीब रु० 13, 726 करोड़ की बोली प्रक्रिया में है। ओ.एन.जी.सी., गेल, कोल इण्डिया, आर.ई.सी., ऑयल इण्डिया, आई.ओ.सी., पॉवर फाईनेन्स कॉरपोरेशन, कन्टेनर कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्जीनियर्स इण्डिया आदि 10 महारत्न/नवरत्न कम्पनियों को स्ट्रेटेजिक सेल की टोकरी में रखा गया है।

यह खुलासा और भी भयावह है कि मोदी सरकार ने देश के सार्वजनिक उद्यमों के 'निजीकरण की परियोजना' के मामले में परामर्श देने के लिए रिलाईन्स म्यूचल फंड प्रबन्धकों को नियुक्त किया है।

सरकार द्वारा प्रायोजित और वित्तपोषित एजेन्सी नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाईनेन्स एण्ड पॉलिसी (एन.आई.पी.एफ.पी.) ने भारत के केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का पूरी तरह से समाप्त कर देने का एक खतरनाक खाका एन.डी.ए. सरकार को पेश किया है। यह सुझाव दिया गया है कि *''आगे और भी अधिक आक्रामक निजीकरण हो – विशेषकर 17 महारत्न, 73 रत्न और 140 अन्य छोटे सार्वजनिक उपक्रमों को जो रत्न श्रेणी में भी नहीं है। तभी तो प्रधानमंत्री का कथन कि ''व्यापार चलाना सरकार का व्यापार नहीं है'' सार्थक हो सकेगा।''* एन.आई.पी.एफ.पी. ने *''सार्वजनिक उद्यमों की 50% परिसम्पत्तियों को बेचने की 10 वर्षीय योजना को स्वीकार करने की सिफारिशें की है। यह वार्षिक लक्ष्य आधारित तदर्थ योजना काम की नहीं है।'' (पष्ठ 21)* याद करें नीति आयोग पहले ही 74 केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची निजीकरण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप चुका है ।

सरकार रक्षा उत्पादन में लगी बी.ई.एम.एल. बेंगलुरु में अपनी 46% हिस्सेदारी पहले ही बेच चुकी है और स्ट्रेटेजिक सेल के तहत 25% हिस्सेदारी की बिक्री की प्रक्रिया चला रखी है। इसका अर्थ है कि मोदी सरकार ने किसी देशी या विदेशी निजी कम्पनी के हाथ बी.ई.एम.एल. को सौंपने का फैसला कर लिया है। एक ओर कोर सैक्टर की महारत्न सेल पर गम्भीर हमला करते हुए उसके सलेम, दुर्गापुर और भद्रावती इस्पात संयत्रों को निजी हाथों में बेचने का निर्णय लिया है वहीं हैरानी की बात है कि ओ.एन.जी.सी. और ऑयल इण्डिया द्वारा खोजे गए 67 तेल क्षेत्रों का भी निजीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 5 साधारण बीमा कम्पनियों के 25% शेयरों को विदेशी कम्पनियों सहित निजी हाथों में बेचने की घोषणा की है। और उस दिशा में सरकार ने उन कम्पनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा भी एन.डी.ए. सरकार ने आई.डी.पी.एल. एवं आर.डी.पी.एल. को बन्द करने तथा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स और बंगाल कैमीकल एवं फार्मास्यूटीकल लिमिटेड़ के निजीकरण का निर्णय किया है।

यह याद करना भी जरुरी है कि सरकार ने प्रतिरक्षा, कोयला, पेट्रोलियम खनन, बिजली, दूर संचार, नागरिक उड्डयन, उपग्रह, निर्माण, बीमा, पेंशन फण्ड, पी.एस.यू. बैकिंग, रेलवे संचालन व रखरखाव, मल्टीब्राण्ड रिटेल और फार्मास्यूटीकल आदि रणनीतिक महत्व के अतिसंवेनशील क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की मंजूरी दे दी है। विड़म्बना यह है कि प्रधानमंत्री ने बड़े ही गर्व के साथ घोषणा की है कि अब भारत दुनिया की खुली अर्थव्यवस्था बन गया है और सुधारों के नाम पर ऐसी नीतियों को जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जतायी है।

संसद से (1)

निजीकरण और केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिकबिक्री

7 फरवरी को राज्यसभा में शून्यकाल में निजीकरण व केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सी पी एस यू) की रणनीतिक बिक्री का मुद्दा उठाते हुए, सीटू महासचिव तपन सेन, सांसद ने कहा, ''मैं सदन का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा निशाने पर लेकर ठीक तरह से चल रहे और धन कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो अधिकतर अर्थव्यवस्था के प्रमुख व रणनीतिक क्षेत्र में हैं, की बिक्री की विनाशकारी मुहिम की ओर खींचना चाहता हूँ। दरअसल, पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ही नीलाम करने की कोशिश की जा रही है। 'मेक इन इंडिया' के नारे का शोर मचाते हुए, सरकार वास्तव में रणनीतिक बिक्री के नाम पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले पी एस यू का निजीकरण करने जा रही है

नीति आयोग ने, जिसमें सरकार द्वारा अपनी पसन्द के लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसे इस उद्देश्य के लिए, बिक्री हेतु 74 केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की एक बड़ी सूची तैयार की है। जहाँ लाभ कमाने वाली बी ई एम एल, पवन हंस, ब्रिज एंड रूफ आदि कंपनियों को पहले ही निजीकरण के अग्रिम चरण में पहुँचा दिया गया है, इस्पात में, क्षमतावान व रणनीतिक रूप से व्यवहारिक अलॉय स्टील प्लांट तथा महारत्न सेल के अन्तर्गत वी आइ एस एल को भी पूरी तरह से निजीकरण के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरी ओर, कुछ ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों को जो आवश्यक व महत्वपूर्ण दवाओं का उत्पादन करते हैं, खासतौर पर दवा उत्पादन करने वाली कंपनियां, जिन्हें बीमारी में धकेल दिया गया है, उन्हें इस तरह बेचा जा रहा है जैसे वे घाटे में चलने वाली इकाईयां हों। वास्तव में, निजीकरण की इस मुहिम का उद्देश्य देश की विनिमार्ण क्षमता को कमजोर व नष्ट करना है। अन्यथा, रक्षा की जरूरतों को पूरा करने वाली बी ई एम एल जैसी महारत्न पी एस यू को निजीकरण के निशाने पर लेने को कोई कैसे न्यायोचित ठहरा सकता है ? बी ई एल और मिधानी जैसे अन्य सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के रक्षा मंत्रालय के तेजी से उठाये गये कदम को कोई कैसे न्यायोचित ठहरा सकता है ? राष्ट्रीय स्वामित्व के हित की न्यूनतम समझ रखने वाला कोई भी बी एस एन एल की रणनीतिक बिक्री के बारे में कैसे सोच सकता है, जब तक की निजी हितों को फायदा पहुँचाना उनकी प्राथमिकता न बन गयी हो। निर्माण व भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र के ब्रिज एंड रूफ जैसे अग्रणी सार्वजनिक उपक्रम जो मुनाफा कमा रही है और जिनके पास काम के अच्छे खासे आर्डर है; ऐसी कंपनी के निजीकरण के फैसले का बचाव कोई कैसे कर सकता है। राष्ट्रीय विरासत के लिए न्यूनतम सम्मान रखने वाला कोई व्यक्ति हमारे समय के महान वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय द्वारा स्थापित बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उपक्रम को बेचने व बंद करने के बारे में कैसे सोच सकता है ?

दरअसल, मकसद 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन देना नहीं है। वह तो लोगों को मूर्ख बनाने का नारा है। उद्देश्य बड़े विदेशी निगमों व उनके भारतीय चमचों का स्वार्थसिद्ध करना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का मतलब है अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण की समाप्ति, केन्द्रीय पी एस यू के द्वारा निभायी जा रही स्वार्थविहीन कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की समाप्ति। इस विनाशकारी चाल को अवश्य ही मात दी जानी चाहिये।''

केन्द्रीय बजट 2017–18

अगले वित्तीय वर्ष के लिए संसद में पेश बजट में भी सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण का घातक धक्का दिया गया है। सार्वजनिक उद्यमों के आंशिक एवं पूर्ण निजीकरण दोनों ही तरीको से रु० 72,500 करोड़ की राशि का अभी तक के सबसे अधिक लक्ष्य का प्रावधान किया गया है। यह स्पष्ट है कि इतनी बड़ी राशि के लिए अधिकांश सी.पी.एस.यू. की बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक सेल का और शेयर बेचने का ही रास्ता अपनाया जाएगा। रेल के पी.एस.यू. और आम बीमा कम्पनियों के लक्ष्य की पहचान पहले ही कर ली गयी है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सार्वजनिक उद्यमों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए हथौड़ा मारने को बेताब है।
बजट पेश करने के साथ ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र पर घातक हमला शुरु कर दिया है। बजट पेश करने के तुरन्त बाद मीडिया से मुखातिब होकर वित्तंमत्री ने कहा कि *''लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार एक ऐसा तंत्र स्थापित करेगी जिससे सभी सार्वजनिक उद्यमों को सूचीबद्ध करके समयबद्ध तरीके से एक अन्य एक्सचेन्ज ट्रेडिड फण्ड जारी होगा।''* कोयला मंत्रालय के सचिव ने 25 कोयला खानों के नीलामी की घोषणा की है। गैर कोयला खदान सचिव ने 250 गैर कोयला खदानों की नीलामी की घोषणा की है। सरकार की असली मंशा, सभी पब्लिक सैक्टर ऑयल कम्पनियों का एक साथ विलय करके एकीकृत कम्पनी बनाने का भी खुलासा होने वाला है। यह एकीकृत ऑयल कम्पनी बनाते ही उसके नीजिकरण के लिए तेल की अंतराष्ट्रीय दिग्गज कम्पनियों को आकर्षित किया जाएगा। बजट प्रस्तावों में सी.पी.एस.यू. को पूँजीगत निवेशों को नीचे लाने के लिए बाध्य किया गया है। क्योंकि मोदी सरकार न केवल सार्वजनिक उद्यमों को असामान्य रुप से उच्च लाभांश का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रही है बल्कि सरकार सार्वजनिक उद्यमों के पास जमा निवेश के लिए आरक्षित धन को भी बेहताशा खींच लेने के लिए कोशिशें कर रही है। स्थिति यह है कि ''माँग में कमी और क्षमता उपयोग में गिरावट, सार्वजनिक उद्यमों के पूँजीगत खर्च भी लाभांश की अदायगी में तेज वृद्धि के कारण कम कर दिया गया है और उनकी आरक्षित नगदी में भी कमी आयी है। (बिजनेस स्टैंडर्ड; 4 फरवरी, 2017)

तेज गति से बढ़ते ठेकेदारी के हमले

सर्वाधिक संगठित सार्वजनिक क्षेत्र में भी ठेकेदारी और ठेका श्रमिकों का अमानवीय शोषण तेज गति से बढ़ रहा है। यही उचित समय है और सार्वजनिक क्षेत्र के सम्पूर्ण मजदूर आन्दोलन का दायित्व है कि और क्षेत्रवार एंव सम्बद्धता से ऊपर उठकर पूरी एकजुटता के साथ इसके लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक संघर्षों की योजना के साथ सड़कों पर आ जाए।
ठेका श्रमिकों संख्या ने पूरे सार्वजनिक क्षेत्र में एक उल्लेखनीय स्थिति और सामरिक महत्व प्राप्त कर लिया है। इस स्थिति में नियमित श्रमिकों और ठेका श्रमिकों के बीच घनिष्ठ सहयोग जरुरी हो गया है। यद्यपि ठेका मजदूर सम्बन्धित पी.एस.यू. के उत्पादन, उत्पादकता और मुनाफों में भारी योगदान करते हैं, लेकिन वे वेतन एवं हितलाभों, सामाजिक सुरक्षा और सेफ्टी आदि सहित रोजगार की शर्तों के मामले में धृणित शोषण का शिकार हैं। *अभी हाल ही के उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के आलोक में समान काम के लिए समान वेतन को लागू कराने के लिए देश भर के मजदूर आन्दोलन को पूरी गम्भीरता से बड़े भारी पैमाने पर उठाना चाहिए।*

केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में आगामी वेतन वार्ताऐं

जस्टिस सतीश चन्द्र की अध्यक्षता वाली सी.पी.एस.यू. के एक्जीक्यूटिव कैडर के लिए 3सरी वेतन संशोधन समिति ने अभूतपूर्व रुप से अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी है। कमेटी की सिफारिशों पर गुप–चुप अध्ययन चल रहा है। इसे 'तूफान से पहले की खामोशी' कहा जा सकता है। ऐसी जानकारी मिली है कि सरकार ने 3सरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के अध्ययन के वास्ते सचिवों की एक कमेटी की नियुक्त की है। इस बीच ट्रेड़ यूनियनों ने 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होने वाले वेतन संशोधन की वार्ताओं के वास्ते माँग पत्र जमा करने शुरु कर दिए हैं।

सम्मेलन का आह्वान

सभी प्रकार के विनिवेश के खिलाफ जोरदार अभियान, प्रचार और संघर्ष के लम्बे आन्दोलन की शुरुआत तुरन्त होनी चाहिए। कोई स्ट्रेटेजिक सेल/विनिवेश नहीं और किसी भी सी.पी.एस.यू. का आंशिक या पूर्ण निजीकरण नहीं, बी.आई.एफ.आर. और ए.आई.एफ.आर. का विघटन नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के सम्पूर्ण स्वामित्व में ही बीमार सी.पी.एस.यू. के पुर्नजीवन के वास्ते ठोस एवं प्रभावी कदम।

विशेष रुप से आने वाली वेतन वार्ताओं के मद्देनजर बे–रोकटोक सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को दुहराना।

सम्मेलन में निम्न कार्यक्रम अपनाया गयाः

1. **28 फरवरी 2017 तक संयुक्त उद्योगवार/क्षेत्रवार/ सार्वजनिक उद्यम विशेष के सम्मेलन/सेमीनार स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करना;**
2. **साहित्य अभियान, गेट मीटिंगें, सम्बन्धित संस्थान के मुख्य द्वारा पर धरना और ड्यूटी के आरम्भ, अंत और भोजनावकाश के दौरान नारेबाजी आदि 20 मार्च 2017 तक करना;**
3. **30 मार्च 2017 को काले बिल्ले पहनकर और स्थानीय प्रथा के अनुसार धरना एवं नारेबाजी करते हुए अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाना;**
4. **संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित करना, जिसकी तिथि बाद में तय करके घोषित की जाएगी;**
5. **सम्मेलन सभी सम्बद्धताओं के पब्लिक सैक्टर कर्मचारियों का आह्वान् करता है कि एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी करें, जिसकी तिथी बाद में तय करके घोषित की जाएगी;**

संसद से (2)

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण व विनिवेश

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण व विनिवेश के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने 2 दिसम्बर, 2016 को लोकसभा में बयान दिया।

• बयान में 4 वर्षो के 'लक्ष्यों' व 'उपलब्धियों' (!) को निम्नानुसार बताया गया। (राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	लक्ष्य	रणनीतिक बिक्री लक्ष्य	प्राप्त हुई राशि
2013–14	40,000	–	15,819
2014–15	43,425	–	24,349
2015–16	41,000	28,500	23,997
2016–17	36,000	20,500	21,400.84 (15. 11. 2016 तक)

• विनिवेश से प्राप्त हुई राशि

2013–14 : हिन्दुस्तान कॉपर (एच सी एल) – 259.56, आइ टी डी सी– 30.17, एम एम टी सी– 571.71, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स (एन एल एफ)– 101.08, स्टेट ट्रेडिंग कार्प० (एस टी सी) –4.54, नेयवेल्ली लिग्नाइट कार्प (एन एल सी)– 358.21, इंजीनियर्स इंडिया लि० (ई आइ एल)– 497.32, इंडियन ऑयल कार्प०(आइ ओ सी)– 5341.49, सी पी एस ई–एक्सचेंज ट्रेडड फंड–3000, एन एच पी सी–2131.28, पॉवर ग्रिड कॉर्प० (पी जी सी आइ एल)–1673.32, भेल–1886.78।

2014–15:सेल – 1719.54, कोल इंडिया लि० (सी आइ एल) –22557.63

2015–16 : सरल इलैक्ट्रिक कार्प०(आर आइ सी)–1608, पॉवर फिनान्स कार्प० – 1671, ड्रेजिंग कार्प० –53.33, आइ ओ सी–9369, ई आइ एल –642.5, एन टी पी सी –5014.55, कंटेनर कार्प० (कॉनकोर)–1155.20, भारत डायनामिक्स (बी डी एल) – 198.85, हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लि० (एच ए एल)–4284.37।

2016–17 : एन एच पी सी – 2716.55, आइ ओ सी– 262, एन टी पी सी – 203.78, नाल्को–2831.71, एच सी एल– 399.93, एन एम डी सी– 7519.15, मैंगनीज ओर (एम ओ आइ एल) – 793.83, एन बी सी सी– 2201.14, भारत इलेक्ट्रानिक्स (बी ई एल)–1802.60, ई आइ एल–31.38, सी आइ एल–2638.24।

संसद से (3)

2017–18 के बजट में विनिवेश, रणनीतिक बिक्री और निशाने पर लिए गये सार्वजनिक उपकम्र

संसद में प्रस्तुत 2017–18 के बजट में सकल घरेलू उत्पाद के 3.2प्रतिशत के वित्तिय घाटे को पूरा करने के लिए विनिवेश के माध्यम से रिकार्ड 72,500 करोड़ के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। इसमें 46,000 करोड रूपये माइनॉरिटी विनिवेश से; 15000 करोड़ रणनीतिक बिक्री से तथा 11,000 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र की पाँच साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध किये जाने से आना प्रस्तावित है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की जिन पाँच गैर–जीवन बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने की धोषणा की है उनमें नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लि०, आरिएन्टल इंश्योरेन्स कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लि०, जनरल इंश्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा यूनाईटेड इंडिया एश्योरेन्स लि० शामिल हैं।

महत्वपर्ण यह है कि, दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लॉयड अप्रैल 2017 से भारत में अपना काम शुरू करेगी।

सरकार ने रेलवे की शाखाओं–इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि० (आइ आर सी टी सी), इंडियन रेलवे फिनान्स कार्पोरेशन लि० (आइ आर एफ सी) व इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लि० (इरकॉन) को सूचीबद्ध करने के लिए कतारबद्ध कर दिया है। आइ आर सी टी सी केटरिंग व हॉस्पिटेलिटी सर्विस में तथा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर व निमार्ण का काम काने वाली इरकॉन इंटरनेशनल दोनों ही कर्जो से मुक्त व लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं। आइ आर एफ सी रेल मंत्रालय की वित्तीय शाखा है जिसका शुद्ध मूल्य काफी अधिक है। इन कंपनियों का सूचीबद्ध होना रेलवे में भारी–भरकम निजीकरण का रास्ता खोलना है।

सार्वजनिक उद्यमों की रणनीतिक बिक्री

हाल ही में मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री का फैसला लिया है। विनिवेश विभाग के अनुसार, पी एस ई की रणनीतिक बिक्री में, लेन–देन के दो तत्व है; (1) शेयरों के एक खंड का निजी रणनीतिक साझेदार को हस्तांतरण और (2) प्रबंधन के नियन्त्रण का रणनीतिक साझेदार को हस्तांतरण।

यह जरूरी नहीं है कि प्रबंधन का हस्तांतरण होने के लिए निजी रणनीतिक साझेदार को कुल इक्विटी का 51प्रतिशत से ज्यादा जाये। उदाहरण के लिए, पी एस ई में सरकार के 51 प्रतिशत शेयरों में से 25 प्रतिशत निजी रणनीतिक साझेदार को जायेगा और 26 प्रतिशत सरकार के पास रहेगा। शेष 49 प्रतिशत शेयरों को विनिवेश के जरिये इधर–उधर कर दिया जायेगा। लेकिन आवश्यक शर्त यह है कि सार्वजनिक उद्यम का नियन्त्रण निजी रणनीतिक साझेदार के पास होगा।

सार्वजनिक उद्यमों की रणनीतिक बिक्री निजाकरण का एक प्रमुख तरीका है। सार्वजनिक उद्यमों की पहले हुई ऐसी कई रणनीतिक बिक्रीयों में जैसे कि बाल्को, वी एस एन एल, हिन्दुस्तान जिंक लि० के मामलों में निजी फर्मो को अन्तिम चरणों में 51 प्रतिशत से ज्यादा शेयर मिले।

सार्वजनिक उद्यमों पर लटकी तलवार

सरकार ने पहली रणनीतिक बिक्री के रूप में इलाहाबाद स्थित भारत पम्प एंड कम्प्रेसर्स लि० की बिक्री को मंजूरी दे दी है। रणनीतिक बिक्री के लिए सूचीबद्ध की गयीं अन्य कंपनियों में भारत अर्थ मूवर्स, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट, फैनरो स्कैप निगम, सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ इकाईयां, एन एम डी सी का नगरनार स्टील प्लांट शामिल हैं। नीति आयोग की सूची में रणनीतिक बिक्री के लिए सेल की भद्रावती, दुर्गापुर व सलेम इकाईयों का भी प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने, 7 कंपनियों– स्कूटर्स इंडिया, हिन्दुस्तान प्रीफेब्स, ब्रिज एंड रूफ कंपनी, इंडिया, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट कंपनी इंडिया, भारत पम्प एंड कम्प्रेसर्स, पवन हंस व सेंट्रल इलेक्ट्रानिक में सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी की रणनीतिक बिक्री का फैसला किया है। नीति आयोग ने 11 सार्वजनिक उद्यमों को रणनीतिक बिक्री के लिए 'उच्च प्राथमिकता' तथा अन्य 11 पी एस ई को 'निम्न प्राथमिकता' में रखने की सिफारिश की है।

नीति आयोग ने 74 बीमार व घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्यमों की भी सूची तैयार की है जिनमें 26 को बंद करने की सिफारिश की गई है, 5 को लम्बी अवधि के पट्टे या राज्यों को हस्तांतरित (इनमें से अधिकतर होटल हैं), 6 की राज्यों को बिक्री या हस्तांतरण की सिफारिश की गई है। इन 74 इकाईयों में, 22 फिलहाल पुनर्जीवन की योजना के तहत हैं।

पिछली रणनीतिक बिक्री 2003–2004 में राजग सरकार के समय जेसप एंड कंपनी की हुई थी जब सरकार के 72 प्रतिशत हिस्से को 18.18 करोड़ रूपये में इंडो वेगन इंजीनियरिंग को बेच दिया गया था। उसी वर्ष सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लि० में अपनी 18.92 प्रतिशत इक्विटी को 323.88 करोड में स्टरलाईट ओपोटयूनिटीज एंड वेंचर लि० को बेच दिया था।

सीटू ने सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों को समाप्त करने के सरकार के कदम की भर्त्सना की

सीटू ने 29 सितम्बर, 2016 को, भाजपा सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों–आइ डी पी एल व आर डी पी एल को समाप्त करने तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० (एच ए एल) और बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० (बी सी पी एल) का निजिकरण करने के फैसले की भर्त्सना की।

केन्द्र में रही सरकारों द्वारा आइ डी पी एल व आर डी पी एल का समय पर आधुनिकीकरण न करने की जानबूझकर की गयी लापरवाही ने इन दोनो सार्वजनिक कंपनियों को बीमार बना दिया। अब इन दोनों को समाप्त किया जा रहा है। इसके पीछे खेल बेहतरीन स्थानों पर आइ डी पी एल और आर डी पी एल की विशाल जमीन को बेचने का है।

हिन्दोस्तान एंटीबायटिक्स लि० और बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० स्वयं सरकार द्वारा पैदा की गयीं तमाम विपरीत स्थितियों में भी काम कर रहीं हैं। बी पी सी एल एक विरासत कंपनी है जिसे प्रख्यात वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रॉय ने स्थापित किया था और इसलिए उसे बचाने के विशेष कदम उठाये जाने चाहियें। दोनों ही सार्वजनिक कंपनियों ने कुछ आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की फौरी घरेलू मांग को पूरा करने की अपनी कार्यक्षमता और प्रतिबद्धता को दिखाया है।

मोदी सरकार दवा बाजार में अधिकतर बड़ी निजी कंपनियों को शोषण की खुली घूट देने के लिए दवाओं का उत्पादन करने वाली सार्वजनिक कंपनियों को मार रही है और वह भी ऐसे समय जब अधिकतर जरूरी दवाओं के, आसमान छूते जा रहे दाम जनता की जेब काट रहे हैं और सरकार के तथाकथित मूल्य नियन्त्रण कदमों की खिल्ली उड़ा रहे हैं।

सीटू, ने तमाम महेनतकशों व ट्रेड यूनियनों से भले ही उनकी संबद्धता कुछ भी हो, इस तरह के क्रूर कदमों का विरोध करने का आहवान किया है।

संसद में (4)

मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्ज की देशव्यापी हड़ताल

राज्य सभा में, शून्यकाल में मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्स की देशव्यापी हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए; सीटू महासचिव तपन सेन, सांसद ने संसद में उपस्थित रसायन व उर्वरक मंत्री का विशेषतौर पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, कि कोई एक लाख मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्स अपनी दो सूत्री मांगो को लेकर अगले दिन 3 फरवरी से हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी पहली माँग दवाओं को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए लागत आधार पर उनकी कीमतों को तय करने की है, उन्होंने आगे कहा कि, 'जैसाकि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कल अपने बजट भाषण में भी दोहराया था। ''जहाँ तक खरीद पाने की ताकत का सवाल है तो, ''दवाओं के मूल्य का निर्धारण बाजार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। लागत और तार्किक प्रतिफल पर आधारित होना चाहिये, उन्होंने कहा। दूसरे, आवश्यक दवाओं पर टैक्स या एक्साईज ड्यूटी को अवश्य ही शून्य किया जाना चाहिये। तीसरे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, आवश्यक दवाओं पर एकाधिकार बनाने की आक्रामकता को अवश्य ही नियंत्रित किया जाना चाहिये।''

सदन का ध्यान खींचते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्ज लम्बे समय से एस पी ई एक्ट के तहत वैधानिक कार्य नियमों की मांग करते आ रहे हैं। ''एक त्रिपक्षीप समिति बनी हुई है। लेकिन कमेटी कुछ नहीं कर रही है। यह बस कागजों पर बैठी हुई है। यह केवल, सभी मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्स को नियोक्ताओं की अराजकता के भरोसे छोड़कर, फार्मा कंपनियों के लिए ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को सुनिश्चित करना है, उन्होंने कहा।

केन्द्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री का पुनः ध्यान खींचते हुए तपन सेन ने ''दवाओं के मूल्यों के मुद्दे पर कदम उठाने की मांग की। उन्होंने स्टैंस के मुद्दे पर एक बयान दिया है। मैं उन से इस मामले में भी हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूँ

मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्स की मांगो को लेकर देशव्यापी हड़ताल के बारे में तपन सेन के बयान के साथ कई अन्य सांसदो ने भी अपने आपको जोड़ा। इनमें आनंद भास्कर रापुलु (काँग्रेस–तेलंगाना) टी के रंगराजन (सी पी आइ (एम)–तमिलनाडु, झरना दास बैद्य (सी पी आइ (एम))–त्रिपुरा, मधुसूदन मिस्त्री (कांग्रेस–गुजरात) तथा राज्य सभा की कार्यवाही के अनुसार कुछ अन्य सांसद भी शामिल थे।

उबाल पर बी एफ आइ आर

(10 जनवरी, 2017 को सीटू ने बी एफ आइ आर को भंग करने के मोदी सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए उसकी भर्त्सना की। बिजनेस लाईन ने 17 जनवरी के अपने संपादकीय में सीटू को गलती पर बताते हुए बी एफ आई आर को भंग किये जाने के पक्ष में दलील दी। सीटू महासचिव तपन सेन ने 27 जनवरी को अखबार के संपादक को लिखे पत्र में बी एफ आइ आर को भंग किये जाने के खिलाफ सीटू के विरोध को सही ठहराया। इस बहस की फिर से प्रस्तुत की जा रही विषय वस्तु निम्नलिखित है।)

सीटू का बयान

सीटू ने बी एफ आइ आर को भंग करने के सरकार के फैसले की भर्त्सना की बीमार उद्योगों के पुनर्जीवन व पुनर्वास को एक बड़ा झटका बताया

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा 2 जनवरी, 2017 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गयी सूचना में ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल एंड रीकन्सट्रक्शन (बी एफ आइ आर) व उसके अपीलीय प्राधिकरण ए ए आइ एफ आर को भंग करने के भारत सरकार के फैसले की भर्त्सना करती है। बी एफ आइ आर को, बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत, सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों की बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनर्जीवन व पुनर्वास की जिम्मेदारी दी गयी थी। बी एफ आइ आर व ए ए आइ एफ आर के भंग और जारी न रहने से उन हजारों बीमार औद्योगिक कंपनियों को घातक धक्का लगा है जिन्हें फिर से खड़े होने व पुनर्वास की क्षमता के मद्देनजर बी एफ आइ आर में भेजा गया है और जिनमें बी एफ आइ आर के पास पहले से लंबित ढ़ेरो मामले भी शामिल हैं। इससे बी एफ आइ आर के पास पहुँची ऐसी बीमार कंपनियों में जो अभी चालू हैं, रोजगार का जो नुकसान होगा वह बहुत बड़ा होगा।

सरकार अब इनसॉलवेन्सी एंड बैंकर कोड एक्ट 2016 व कंपनीज एक्ट 2013 का हवाला देते हुए बता रही है कि बीमार कंपनियां जिनके मामले बी एफ आइ आर के पास लंबित हैं वे अब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्युलनल (एन सी एल टी) के सामने नये मामले दाखिल कर सकती हैं। लेकिन संबंधित बीमार कंपनियों के पुनर्जीवित होने या पुनर्वास की संभावनाओं की तलाश करना एन सी एल टी का कार्य नहीं है जिसका प्रमुख काम हित धारकों जैसे कर्जदाताओं आदि के बकायों का निपटारा करना है। और, इसमें भी, दिवालिया संहिता 2016 के अनुसार, श्रमिकों के बकाया के लिए परिसमापन के पहले तक अधिकतम 24 महीने की सीमा लगा दी गयी है जबकि सुरक्षित कर्जदाताओं के बकाया के निपटारे के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है।

बी एफ आइ आर और ए ए आइ एफ आर का भंग होना, उन हजारों चालू मगर बमिार औद्योगिक कंपनियों के परिसमापन को, जिनके मामले की ए एक आइ आर के पास लंबित हैं, अवश्यमभावी बना देगा। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की ये कंपनियां सरकार की गलत नीतियों के साथ–साथ जानबूझकर वैधानिक नियामक मशीनरी का पालन न कराये जाने के कारण बीमार हुई हैं। लाखों मजदूरों को बिना उनकी गलती के अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ेगा। इसके साथ ही केवल श्रमिकों के बकाया पर थोपी गई सीमा के चलते उन्हें अपने जायज रूप से अर्जित बकायों के संदर्भ में भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह से मोदी सरकार का तथाकथित ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम मीडिया में शोर मचाने और आयात तथा बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के पक्ष में घरेलू ओद्योगिक क्षमता का नाश करने वाला बनकर रह गया है।

सीटू सरकार से माँग करता है कि वह ऐसे कदम से बाज आये जो राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होने के साथ ही लाखों मजदूरों को विशेषतौर पर नुकसान पहुँचाने वाला है। सीटू, मजदूर वर्ग से और संबंद्धताओं से परे जाकर तमाम ट्रेड यूनियनों से भी अपील करता है कि वे ऐसी विनाशकारी चाल के खिलाफ जुझारू विरोध शुरू करें और बीमार घरेलू उघोगों के पुनर्जीवन व पुनर्वास के लिए नीति समेत सीधी सरकारी मदद की माँग करें।

बिजनेस लाइन का संपादकीय
"सीटू गलती पर है"
असफलता बिजनेस का अन्तर्निहित हिस्सा है। यूनियनों को इसे मानने की जरूरत है।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रीकंस्ट्रक्शन को भंग करने के केन्द्र के फैसले को विनाशकारी बताना उसकी गलती है। सी पी आइ (एम) से संबद्ध ट्रेड यूनियन की आलोचना बीमार कंपनियों को फिर से खड़ा करने और रोजगारों को बचाने में बी एफ आइ आर की प्रभाविकता के बारे में उसकी कम जानकारी और समझ पर आधारित है। सच्चाई यह है कि, बी एफ आइ आर, उसका अपीलीय न्यायाधिकरण, तथा बीमार औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985, जिसके अन्तर्गत सभी संचालित होते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में बुरी तरह से असफल रहें हैं। बी एफ आइ आर की पीठों के सम्मुख मामले लम्बे समय तक लटकते हैं क्योंकि प्रबधन देरी करने और रूकावट पैदा करने की तिकड़मों में सफल होते हैं। जहाँ पुनर्जीवन व पुनर्वास के बारे में आदेश पारित भी हुए, उनका कार्यान्वयन खराब रहा– बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्जीवन व पुनर्वास में बी एफ आइ आर की कार्यवाही के बाद औसतन 5–7 वर्ष लगते हैं और अपील में जाने पर और कई वर्ष। कितने ही मामलों में यह जाहिर हुआ है कि कार्यवाही के जारी रहते प्रबंधको द्वारा काम के और कीमती साजोसमान को कंपनी से हटा लिया गया, पैसे को कहीं और ले जाया गया और इस तरह अंत को जल्दी ले आया गया। परिणामस्वरूप, कंपनी में ऐसा कुछ भी कीमती नहीं बचा रहता जो कंपनी के पुनर्गठन या उसे पुनः स्वस्थ बनाने में काम आ सकता हो।

सीटू की एक प्रमुख चिन्ता, इन बीमार कंपनियों के नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्युनल (एन सी एल टी) या इनसॉल्वेंसी एंड बेंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आई बी बी आई) को भेजे जाने पर होने वाले रोजगार के नुकसान को लेकर है क्योंकि ऐसी सूरत में ये कंपनियां बन्द भी हो सकती हैं। ट्रेड यूनियन का दावा है कि ये कंपनियां, सरकार की गलत नीतियों व वैधानिक नियमों को जानबूझकर लागू न करने के चलते बीमार होती हैं। जहाँ यह सच है कि कई बीमार कंपनियां कई वर्षों तक चालू रहती हैं और इस तरह कुछ रोजगार को बनाये रखती हैं, वहीं यह भी सही है कि बीमार कंपनियां, मानव संसाधन सहित अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं करतीं हैं।

पुननिर्माण से इन संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिलती है। तथापि सीटू को अवश्य ही यह समझना चाहिये कि औद्योगिक इकाईयों के बीमार होने के कई कारण ओते हैं– सरकार की नीतियों में बदलाव सिर्फ एक कारण है। अन्य कारणों में बेहतर उत्पादों के आ जाने से माँग में परिवर्तन, उपभेक्ताओं की बदलती रूचि, कीमतों को कम रखने और बाजार के परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढाल पाने में कंपनी की असफलता तथा उत्पाद सुरक्षा से संबंधित व कायदों से जुड़े कारण शामिल हैं। सीटू को समझना चाहिये कि बिजनेस के असफल होने की स्थिति में मजदूरों के हितो का भला इसी में किया जा सकता है कि असफल व्यापारों को मरने दिया जाये और उनके संसाधनों को नये काम में निवेश किया जाये।

अब जब एस आइ सी ए को रद्द कर दिया गया है और बी आइ एफ आर तथा ओद्योगिक व वित्तीय पुनर्गठन के लिए अपीलीय प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है, तो अब यह केन्द्र, एन सी एल टी, आइ बी बी आइ तथा कंपनियों पर है ने वे यह सुनिश्चित करें कि नया ढांचा, बीमार कंपनियों को बचाने के लिए मजदूरों समेत सभी हितधारकों के बहेतर हित में प्रभावी ढंग से व तेजी से कार्य करे। कंपनी अधिनियम 2013 तथा इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 बीमार बिजनेस को बचाने व प्रभावित मजदूरों के हितों की हिफाजत के लिए एक नया ढांचा प्रदान करता है। सभी बिजनेस सफल नहीं होगें और यह बुद्धिमानीपूर्ण है कि जो असफल हों उनकी संपदा व अन्य संसाधनों को ज्यादा प्रभावी कामों में लगाया जाये।

तपन सेन का 'संपादक को पत्र'

हमने आपके सम्मानित समाचारपत्र का 19 जनवरी 2017 का सम्पादकीय 'सीटू गलती पर है' पढ़ा। हम, आपकी इस समझ व नजरिये से कि असफलता बिजनेस का अन्तर्निहित हिस्सा है, सहमत नहीं हैं, जिसमें संबंधित हितसाधकों द्वारा संबंधित औद्योगिक इकाईयों व मजदूरों की कीमत पर ''असफलता'' व '' बीमारी'' को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किये जाने को नजरंदाज किया गया है। सीटू, सिक इंडस्ट्रीत कंपनीज एक्ट 1985 (एस आइ सी ए 1985) को खत्म करने के माध्यम से बी एफ आइ आर और ए ए आइ एफ आर को भंग करने के सरकार के नीतिगत फैसले के अपने विरोध पर मजबूती से कायम है।

हमारे इस आरोप को काटते हुए कि कंपनियां, अधिकतर सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के साथ–साथ नियामक तौर– तरीकों को जानबूझकर लागू न किये जाने के कारण बीमार होती हैं, संपादकीय नोट करता है, '' सीटू को अवश्य ही यह समझना चाहिये कि औद्योगिक इकाईयां कई प्रकार के कारणों के चलते बीमार होती हैं–सरकार की नीतियों में बदलाव इनमें मे केवल एक है। अन्य कारणों में बेहतर उत्पाद के आने से माँग में बदलाव, उपभोक्ताओं की बदलती रूचि, कीमतों को कम रख पाने तथा बाजार में आये बदलावों के अनुरूप अपने आपको ढालने में कंपनी की असफलता, व इसके साथ–साथ उत्पाद सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं व कायदे शामिल हैं।

यह स्मरण करना प्रासंगिक होगा कि बी एफ आइ आर के एक पूर्व चेयरमैन ने कहा था कि इंडस्ट्री को बीमार बनाना एक फायदे का बिजनेस है। और यही वह ब्लैक होल है जो बिजनेस घरानों द्वारा बैंको से लिए गयें कर्जों को जानबूझकर न लौटाये जाने के चलते खतरनाक रूप से भारी भरकम अदा न किये गये कर्जो का कारण है जिन्हें एन पी ए या गैर निष्पादित, संपदा कहा जाता है। यह वस्तुगत सच्चाई हमारे विश्लेषण को सही ठहराती है कि ज्यादा मुनाफे के लिए एक औद्योगिक इकाई से दूसरी इकाई में संसाधनों को पहुँचने से रोकने के लिए वैधानिक नियामकों को जानबूझकर लागू न किया जाना, समुचित लेखा–जोखा व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित न करना आदि बिजनेस घरानों को लाभ प्रदान करता है और उन गरीब मजदूरों के लिए बेशुमार मुसीबतें खड़ी करता है जिनके खून–पसीने से इंडस्ट्री और बिजनेस 'अतिरिक्त मूल्य' वसूलते है। इंडस्ट्री बीमार हो जाती है और उद्योगपति धनी से और धनी होते जाते हैं। आपके संपादकीय में यह साफ तौर पर स्वीकार किया गया है कि '' बी एफ आइ आर में मामलों के चलते रहने के दौरान प्रबंधन कंपनी से कीमती सजोसामान व फंड को हटा और उसे ''अन्यत्र पहुँचाकर अंत को जल्द निकट ले आते हैं।'' आप कृपया नोट करें कि विधान के अनुसार, बी एफ आइ आर के तहत किसी कंपनी को ऐसा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन वे मजे से ऐसा करती हैं क्योंकि सरकार अपनी नियमन की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर उन्हें ऐसा करने देती है। माल्याओं, सुब्रत रायों और न जाने कितने और इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

संपादकीय ने टिप्पणी की है कि ''सीटू को समझना चाहिये कि श्रमिकों के हित का बेहतर घ्यान तब रखा जाता है जब असफल बिजनेस को मरने दिया जाता है और उनके संसाधनों को नये काम में पुनः निवेश किया जाता है'' प्रतिष्ठान को मरजी से बीमार होने देना और फिर उसकी संपदा व संसाधनों को हटाते हुए उसे रूक–रूक कर मरने देना, सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना और इस स्थिति में यह उम्मीद करना कि ऐसा बिजनेस प्रतिष्ठान ईमानदारी से पूंजी को नये प्रतिष्ठान को स्थापित करने के लिए खर्च करेगा और अधिकतर अपनी अधेड़ावस्था में पहुँचे छंटनी हुए मजदूरों को भी न खपाने वाला नया रोजगार पैदा करेगा, दरअसल, देश में लाखों बीमार प्रतिष्ठानों की वास्तविकता से मेल नहीं खाता।

हम आपके सम्मानित समाचारपत्र से अनुरोध करते हैं कि ऐसे असंख्य बीमार प्रतिष्ठानों के बारे में एक अध्ययन कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिनके पास पुनर्जीवन के लिए निश्चित बाजार समेत अच्छी तकनीकी आर्थिक क्षमता है पर जो पुनर्जीवन के प्रति सरकार की हानिकारक नीति और प्रबंधन की दुर्भावना के कारण कर्जदाताओं–बैंकों व वित्तीय संस्थानों और लाखों मजदूरों को भारी हानि पहुँचा रहे हैं।

''बेहतर उत्पादों के आ जाने, उपभोक्ताओं की बदलती रूचि, कीमतों को कम रख पाने में कंपनी की असफलता आदि जैसा कि आपने जिक्र किया है और जिनको उद्यमियों द्वारा स्वयं भली–भाति संभाला जा सकता है बशर्ते ऐसा करने की इच्छा हो और नियामक व्यवस्था निष्पक्ष तरह से काम करे। 'प्रिंट मीडिया' को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। क्या इलेक्ट्रानिक मीडिया के उभार व विकास के चलते प्रिंट मीडिया बंद हो गया ? नहीं, विवेकपूर्ण कार्रवाई ने इंडस्ट्री को नष्ट होने से बचाया है, बल्कि वह बढ़ रही है। यह स्थापित करने के लिए कई उदाहरण दिये जा सकते हैं कि केवल सरकारी नीति व जानबूझकर वैधानिक नियामकों को लागू न करने की वजह से उद्योग मालिकों को, उद्योग की बीमारी के चलते गैर कानूनी रूप से भारी लाभ हुआ है। यह पूरी तरह से अपने आपमें एक बिजनेस हो गया है और बी एफ आइ आर/ए ए आइ एफ आर जैसे अर्ध न्यायिक निकायों का, विश्वासघाती बिजनेस शार्कों ने सरकार की सक्रिय मिली भगत से दुरूपयोग किया है।

तब भी एस आइ सी ए 1985 में बीमार कंपनियों के पुनर्जीवन व पुनर्वास के बारे में कुछ ठोस प्रावधान थे। संशोधित कंपनी अधिनियम 2016 में, हालांकि, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एन सी एल टी) और उसके अपीलीय निकाय के प्रवधान हैं मगर उनका कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग है; उनकी गतिविधियों को कंपनी अधिनियम 2016 तथा इंसाल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड 2016 के प्रावधानों के माध्यम से सीमित कर दिया गया है। नया बनाया गया ढांचा दरअसल बीमार कंपनियों को एक तय समय सीमा में तेजी से बंद करने या परिसमाप्त करने की प्रक्रिया है। लाखों मजदूरों को बिना उनकी गलती के अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ेगा तथा श्रमिकों के बकायों पर लागू सीमा के कारण उन्हें अपनी जायज कमाई में भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसे इंसाल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड 2016 में क्रम संख्या 2 { बिन्दु 178 (बी) (1) के रूप में प्राथमिकता दी गयी हैं।}

सीटू का यह दृढ मत है कि कंपनी अधिनियम 2016 और इंसाल्वेंसी तथा बैंकरप्सी कोड 2016 न तो पुनर्जीवन व पुनर्वास के लिए एक नया ढांचा प्रदान करते हैं और न ही वे प्रभावित मजदूरों के हितों की प्रभावी ढंग से हिफाजत करते हैं, बल्कि वे पूरी तरह से कर्जदाताओं, बड़े व्यापारियों, बिजनेस घरानों व बहुराष्ट्रीय कार्पोरेंशनों के बचाव के लिए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

एक परिचय

''अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व 8 मार्च की वास्तविक कहानी''का

के० हेमलता

सारी दुनिया में महिलाएं जब 8 मार्च, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की तैयारियां कर रही हैं; तब घरेलू उपकरणों से एअरलाइनों तक, उत्पादों से दूर संचार कंपनियों तक, खाने–पीने का सामान बेचने वालों से लेकर स्वास्थ्य उत्पादों व टैक्सी सेवाओं तक तमाम ब्रांड नारीत्व का सम्मान करने के लिए अपने–अपने 'विशेष ऑफर लिए लाइन लगाये हुए हैं। वे यह पता करने के लिए कि अलग–अलग पृष्ठभूमि व आय समूह की महिलाओं को क्या भाता है, खूब छानबीन और विश्लेषण करती हैं। इस आधार पर तैयार किये गये सटीक विज्ञापनों को इस अवसर पर जारी किया जाता है। परामर्श देने वाले विभिन्न मुद्दों पर मुफ्त गुर बताते हैं। धैर्य, दूसरों का ध्यान रखने, सन्तुलन बिठाने, मजबूती, शालीनता, प्रेम आदि जैसे महिलाओं के या उनके लिए जरूरी गुणों को दशार्ने वाले बधाई कार्ड छापे जाते हैं। मीडिया चैनल सेलिब्रिटीज के जीवन में महिलाओं या महिला सेलिब्रिटीज के बारे में चचार्ये आयोजित करते हैं। इसके पीछे विचार यह है कि कार्पोरेट अपने आपको सामाजिक रूप से चेतन होने के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और इस अवसर का प्रयोग अपने उत्पादों को बेचने तथा मुनाफों को बढ़ाने के लिए करते हैं। शोर शराबे में अंतपर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वास्तविक विषयवस्तु, असली उद्देश्य व पृष्ठभूमि जाने–अनजाने पूरी तरह खो जाते हैं। महिला कामगारों का विशाल बहुमत, विशेषकर हमारे जैसे देशों में, असंगठित क्षेत्र में पगार व बेगार के काम के बोझ से दबी गरीब, अशिक्षित महिलायें इस सबसे परे काम में लगी रहती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित बड़ी कंपनियों, बड़े ब्रांडों की आपूर्ति श्रृंखला के हिस्से के रूप में घर पर ही काम करने वाली महिलाओं के खराब हालात पूरी तरह से नजरंदाज कर दिये जाते हैं।

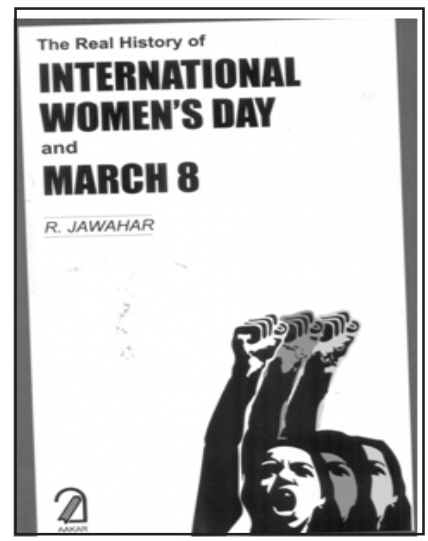

इस संदर्भ में, गहन शोध पर आधारित छोटी सी किताब 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व 8 मार्च की वास्तविक कहानी' महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके लेखक आर जवाहर 1970 के दशक के शुरू में एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता व भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पूर्णकालिक कैडर थे। अब वे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। महिलाओं के साथ काम करने वाले एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने महिलाओं के जहन में उठने वाले विभिन्न सवालों के जबाव देने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उत्पत्ति के पीछे के कारणों के बारे में अलग–अलग वृतान्तों से संबंधित ऐसे ही कुछ सवालों ने उन्हे तथ्यों की पड़ताल के लिए गहन शोध की ओर अग्रसर किया जिसे उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। इस प्रक्रिया में उन्होंने जरूरी दस्तावेजी प्रमाणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व उसकी उत्पत्ति के साथ जुड़े कई सारे मिथकों को दुरूस्त करने की कोशिश की है।

लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उत्पत्ति की पहचान 1889 में पेरिस में हुए दूसरे इंटरनेशनल के साथ की है जिसमें जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इग्लैंड, रूस आदि कई देशों के कम्युनिस्टों ने भाग लिया था। प्रसिद्ध कम्युनिस्ट और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली क्लारा जेटकिन ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था और कामकाजी महिलाओं के मुद्दो को उठाते हुए दलील दी थी कि मजदूर वर्ग की महिलाओं की मुक्ति केवल समाजवाद के बैनर के तले कामकाजी पुरूषों के साथ एकजुट हाने से ही हो सकती है। इस अधिवेशन ने धोषणा की थी कि 'पुरूष मजदूरों का यह कर्तव्य है कि वे समान अधिकारों के आधार पर महिलाओं को अपनी कतारों में शामिल करें और सिद्धान्त रूप में राष्ट्रीयता का भेदभाव किये बिना महिला व पुरूष दोनों के लिए, समान काम के लिए समान वेतन की माँग करें। इसी अधिवेशन में, आठ घंटे के कार्यदिवस की मांग करते हुए सभी देशों व सभी शहरों में 1 मई को प्रदर्शन करने का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था जिसने 1890 से समूची दुनिया में मई दिवस मनाये जाने का सूत्रपात किया। यहाँ से शुरू कर लेखक ने कितने ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व घटनाओं को कालक्रम में रखते हुए 8 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रचलित करने में महिला कम्युनिस्टों की भूमिका को स्थापित किया है।

इस वर्ष, जब मजदूर वर्ग सारी दुनिया में, महान अक्टूबर क्रांति की शताब्दी मना रहा है, यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि रूसी क्रांति 8 मार्च, 1917 (पुराने कैलेन्डर के मुताबिक 23 फरवरी) को हुई थी जब हजारों महिला टैक्सटाईल मजदूरों ने हड़ताल कर, रोटी के लिए और युद्ध समाप्त करने की मांग करते हुए पेत्रोग्राद की सड़कों पर मार्च किया था। जैसा कि रूसी क्रांतिकारी एजेक्जेंड्रा

कोल्लनताई ने विवरण दिया है, '1917 में इस दिन, महान फरवरी क्रांति फूट पड़ी थी। ये पीटर्सबर्ग की कामगार महिलाएं थीं; वही थीं जिन्होने सबसे पहले ज़ार और उसके सहयोगियों के खिलाफ विरोध का झंडा उठाया था। और इसलिए कामकाजी महिलाओं का दिवस हमारे लिए दोगुना उत्सव है।

समाजवादी रूस, मजदूर वर्ग के शासन के तहत ऐसा पहला देश था जिसने इग्लैंड और अमेरिका से बहुत पहले महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। समान काम के लिए समान वेतन, भुगतान के साथ मातृत्व अवकाश जैसे महिलाओं के अधिकार जिन्हे आज लगभग सार्वभौम मान्यता प्राप्त है, उन्हें समाजवाद के तहत न केवल कानूनी तौर पर प्रदान किया गया बल्कि उनपर अमल सुनिश्चित किया गया। सबसे पहले सरकारी आदेशों में से एक में, भूमि के इस्तेमाल का अधिकार महिलाओं समेत सभी रूसी नागरिकों को दिया गया था। समाजवाद के तहत महिलाओं की मुक्ति का आधार तैयार किया गया था जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने लंबी छलांग लगायी।

जैसा कि इस पुस्तक के लेखक ने सही इंगित किया है 'अंतर्राट्रीय महिला दिवस, अधिकारों व मुक्ति के लिए किये गये संर्घषों को याद करने और भविष्य के संघर्षो की योजना तैयार करने का दिवस है।' आज यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जब नवउदारवादी शासन के द्वारा काम और जीवन के हालातों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ जनते के बढ़ता असंतोष को उन्हें बांटने, उनकी एकता को तोड़ने और इन नीतियों के खिलाफ संघर्षों को कमजोर करने की कोशिशों में किया जा रहा है। सारी दुनिया में दक्षिण पंथी ताकतों द्वारा ऐसा किया जा रहा है जिसे हमारे देश में आर एस एस द्वारा संचालित भाजपा सरकार और अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने और महिलाओं के प्रति उनके प्रतिगामी और घटिया नजरिये के रूप में देखा जा सकता है

इसी समय यह देखना भी खुशी का विषय है कि अधिक से अधिक महिलायें इन ताकतों व इनकी विभाजनकारी कार्रवाईयों के खिलाफ अपने विरोध को बुलंद कर रही हैं। सैकड़ों हजार महिलाओं ने अमेरिका और दुनिया भर के शहरों में ट्रंप के खिलाफ 'महिलाओं के मार्च' में हिस्सा लिया।

इस वर्ष के अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं के लिए बराबरी व सबलीकरण के संधर्षो, महिलाओं के लिए ठीक–ठाक रोजगार के लिए संधर्षों के तेज करने, सुरक्षित कार्य स्थलों तथा हमारे देश में लम्बे संघर्षो के बूते हासिल किये गये महिलाओं, मजदूरों के हकों की हिफाजत व उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संघर्ष के संदेश को फैलाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

इस दिन का इस्तेमाल कामकाजी महिलाओं के विशाल तबकों तक जागरूकता फैलाने, जिन तक नहीं पहुँचा गया है उन तक पहुँचने, उनकी रोजमर्रा समस्याओं का उनके खराब हालात का संबंध मजदूर विरोधी नवउदार नीतियों मे जोड़ने; शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ व्यापक संधर्ष के साथ जुड़ने की आवश्यकता जैसा कि 1917 में उन्होंने रूस में किया था, का संदेश फैलाने के रूप में किया जाना चाहिए।

इस किताब ' अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व 8 मार्च की वास्तविक कहानी' का जर्मन व फ्रेंच में अनुवाद हो चुका है। यह तमिल में प्रकाशित हो चुकी है जो लेखक की अपनी भाषा है। हिन्दी, मलयालम और तेलुगु समेत अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो रहा है। यह किताब अंतराष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद को समझने में और कामकाजी महिलाओं की मांगों पर उनके संघर्षों को सही दिशा दिखाने में न केवल महिलाओं के बल्कि ट्रेड यूनियन कैडरों को खासतौर पर मदद करेगी।

परिपत्र 4

1• प्रकाशन का पता	:	बी टी रणदिवे भवन 13–ए राऊ एवेन्यू नई दिल्ली–110002
2•प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3• मुद्रक का नाम	:	तपन सेन
क्या भारत का नागरिक हैं	:	हाँ
पताः	:	बी टी रणदिनवे भवन 13–ए राऊज एवेन्यू नई दिल्ली–110002
4• प्रकाशक का नाम	:	तपन सेन
क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
5• संपादक का नाम	:	के हेमलता
क्या भारत का नागरिक हैं	:	हाँ
6• कुल पूंजी के एक प्रतिशत से ज्यादा के स्वामित्व वाले समाचार पत्र व हिस्सेदारों का नाम व पताः शेसरहोल्डरों या		सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस 13–ए, राऊ एवेन्यू नई दिल्ली–110002

हस्ताक्षर
तनप सेन
प्रकाशक

आई.एल.ओ. : "सामाजिक अशान्ति का खतरा"

ए.के. पद्मनाभन

कामकाजी जनता पर थोपे गए कई सवालों और मुद्दों के साथ वर्ष 2017 की शुरुआत हुई है। गहराते आर्थिक संकट और इससे उपजे राजनैतिक प्रभावों के तीखे होने के कारण पूरी दुनिया के मजदूर बहुत ही गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

इसके साथ ही, इनमें से कुछ मुद्दों पर विभिन्न अंतराष्ट्रीय मंचों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। उनमें से कुछ – 'अरबपतियों का क्लब' विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) एक ऊँचे मुनाफे वाले संगठन ने जनवरी के तीसरे सप्ताह में अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। अभी हाल ही में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि और डब्ल्यू.ई.एफ. में भी धन और आय में बढ़ती असमानता पर चर्चा हुई है। बढ़ती असमानता पर लगभग इसी समय स्वैच्छिक संगठन आक्सफैम ने भी अपना वार्षिक संकलन प्रकाशित किया है। आई.एल.ओ. ने भी ''विश्व रोजगार, सामाजिक दृष्टिकोण'' नाम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

इन सभी चर्चाओं और रिपोर्टों में अलग–अलग रंगों के साथ गहराते आर्थिक संकट और बढ़ती असमानता पर प्रकाश तो डाला गया है लेकिन इसे ढ़कने में कोई सफल नही रहा है।

बढ़ते अरबपति

8 अरबपतियों की दौलत दुनियाँ की आधी आबादी अर्थात् 360 करोड़ लोगों के धन के बराबर है, जो इस वर्ष 2016 के लिए है। वर्ष 2015 में 62 अरबपतियों का धन उन्ही 360 करोड़ लोगों के धन के बराबर था। धन संचयन का आलम यह है कि एक साल के अन्दर ही धन 62 से 8 के पास जुट गया। एक अन्य रिपोर्ट का आकलन है कि वर्ष 2016 के अंत में दुनिया सबसे बड़े धनी लोगों के पास 237 अरब डालर धन था जो साल के शुरुआत से काफी अधिक रहा। महज 500 लोगों के पास 2100 अरब डालर जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक, को 20 वर्षों में अपनी अगली पीढ़ियों के लिए छोड़ देगें।

भारतीय कहानी

आक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 57 अरबपतियों के पास जो धन है वह देश के 70% सबसे गरीबों अर्थात् 87.6 करोड़ लोगों के पास से भी ज्यादा है। भारत के 10% अमीरों के पास देश की 80% सम्पदा है, जबकि 1% के पास कुल धन–सम्पदा का 58% है।

आय में वृद्धि के मामले में भी यही प्रतिबिम्बित होता है। वर्ष 1988 से 2011 के बीच 10% सबसे गरीब भारतीयों की आमदनी में मात्र 29 डालर अर्थात् रु० 2,000 बढ़ोत्तरी हुई, जो लगभग 1% प्रतिवर्ष है। इसी अवधि में 10% सबसे अमीरों की आय में 25% प्रतिवर्ष के साथ सर्वाधिक रु० 40,000 की बढ़ोत्तरी हुई। गरीबों की आमदनी में विकास का यह निम्न स्तर से भारी असमानता पैदा हो गयी है।

आक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 'असमानता की प्रवृत्ति को नया आर्थिक मॉडल ही उलट सकता है' यह कहती है कि ब्रेक्जिट और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत समझने के लिए काफी है। आक्सफैम की यह रिपोर्ट विभिन्न देशों और निवेश बैंक क्रेडिट सुईस सहित संगठनों की रिपोर्टों का संकलन है, जब जारी हुई तभी वर्ल्ड इकोनोमिक फॉरम का सत्र शुरु हुआ ।

डब्ल्यू.ई.एफ. ने कहा है कि 'बढ़ती असमानता और सामाजिक ध्रुवीकरण 2017 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा जोखिम है और परिणाम स्वरुप वैश्वीकरण से पीछे जाना पड़ सकता है'। यह उल्लेखनीय है कि यह डब्ल्यू.ई.एफ. का कथन है जहाँ हमेशा केवल वैश्वीकरण ही एजेण्डा होता है। एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 'भूमण्डलीकरण, नई तकनीक, मुक्त बाजार, पश्चिमी लोकतंत्र और जिम्मेदार नेतृत्व सकारात्मकता का वाहक है'। फॉरम की इस साल का अधिकारिक मजमून 'संवेदनशील एवं जिम्मेदार नेतृत्व' है।

डब्ल्यू.ई.एफ. ने इस साल जोर देकर कहा है कि बढ़ती असमानता 'पूँजीवाद का लौह कानून' नहीं है लेकिन सही नीति का विकल्प चुनने की बात है। पिछले वर्षों में अपनायी गयी नवउदारवादी नीतियाँ ही 'सही नीतियों' का विकल्प था। लेकिन उन्होने बड़ी आसानी से इस तथ्य पर पर्दा डालने का प्रयास किया है कि ये कथित 'सही नीतियाँ' ही हैं जिनके कारण भारी असमानता पैदा हुई है।

आक्सफैम की रिपोर्ट का कहना है – 'ब्रेक्जिट से डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति के अभियान तक की सफलता तक में नस्लवाद में चिन्ताजनक वृद्धि और मुख्यधारा की राजनीति से बड़े पैमाने पर मोहभंग, अमीर देशों में अधिकाधिक लोगों द्वारा यथास्थिति को सहन न करने के संकेत हैं'।

लेकिन डब्ल्यू.ई.एफ. के अपनी रिपोर्ट में अमीर अभिजात्य वर्ग का आह्वान् किया है कि ''उन्हे लोगों की माँगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जिन्होने उनको नेतृत्व सौंपा है, जबकि एक नजरिया एवं रास्ता भी मुहैया कराना चाहिए ताकि लोग बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकें'' और यह करने के लिए ''नेताओं को एक गतिशील, समावेशी, बहु हिस्सेदारी धारक वैश्विक शासन प्रणाली का निर्माण करना होगा। आगे के रास्ते यह सुनिश्चित करना कि भूमण्डलीकरण सभी के लिए लाभकारी है।

हम कभी भी अभिजात्य वर्ग से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह इस बात से सहमत होगा कि गहराते मौजूदा शोषण के लिए ये भूमण्डलीकरण और नचउदारवादी नीतियाँ ही जिम्मेदार हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) रिपोर्ट

अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट – विश्व रोजगार, सामाजिक दृष्टिकोण, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट आदि, भी बढ़ते आर्थिक संकट और असमानता की पुष्टि करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया – ''आर्थिक विकास में निराशा जारी है और बड़े पैमाने पर बेहतर काम में गिरावट व्यापक है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि ''वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में अनिश्चितता काफी ऊँची है''। रिपोर्ट यह भी जोड़ती है कि ''2016 में आर्थिक प्रदर्शन निराशाजनक और 2017 में भी (1) उचित संख्या में नौकरियों के सृजन (2) नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार की गुणवत्ता में सुधार और (3) विकास की उपलब्धियों का समावेशी वितरण के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था की क्षमता की प्रवृत्ति चिन्ताजनक ही रहने वाली है।''

बेरोजगारी में वृद्धि दर वर्ष 2016 में 5.7% और 2017 में 5.8% के साथ, बेरोजगारों की फौज में 34 लाख लोग और जुड़ जाऐंगे। बेरोजगारी में समग्र वृद्धि के साथ ही साथ ''दीर्घकालिक रोजगार की खराब गुणवत्ता'' पर भी रिपोर्ट चिन्ता व्यक्त करती है। पूरी दुनियाँ में वर्ष 2017 के दौरान कुल रोजगार के लगभग 42% से अधिक अर्थात् 1.4 अरब लोगों के लिए रोजगार का स्वरुप असुरक्षित ही रहने वाला हैं। वास्तव में लगभग उभरते देशों (भारत सहित) में दो में से एक मजदूर असुरक्षित रोजगार में हैं जो विकासशील देशों में बढ़कर 5 में से 4 मजदूर (80%) होने जा रही है। भारत में वर्ष 2017 के दौरान बेरोजगारी बढ़ने वाली है, जो 2016 के 1करोड़ 77 लाख से बढ़कर वर्ष 2018 में 1करोड़ 80 लाख हो जाने का अनुमान है।

सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट भी यही कहती है – कामकाजी गरीबी में कमी धीमी है। क्या इसका मतलब यह है कि कामकाजी जनता के बीच गरीबी में कमी नहीं आ रही है और इसके लिए तय किए गए लक्ष्य पूरे नहीं हो सके हैं।

आई.एल.ओ. के महानिदेशक गे राइडर ने डब्ल्यू.ई.एफ. को सम्बोधित करते हुए वर्तमान स्थिति के संदर्भ में कहा कि ''हम इतिहास के निर्णायक बिन्दु पर खड़े है।'' और पिछले कुछ महिनों के दौरान के वैश्विक घटनाचक्रों ''वंचितों के विद्रोह – मजदूरों – जिन्हे महसूस होता है कि भूमण्डलीकरण का उन्हे कोई लाभ नहीं मिला है। हर पीढ़ी की आशाऐं एवं स्वप्न होते हैं कि उनका जीवन पेशेवर एवं सामाजिक तौर पर पिछली पीढ़ी से बेहतर होगा। बहुत से लोगों के लिए तो यह सपना विपरीत दिशा में डाल दिया गया है।

उन सभी जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारी मुनाफों के घमन्ड में हैं, को पिछले तीन दशकों की वास्तविकताओं का

विध्वंसक अनुभव है। आई.एल.ओ. महानिदेशक मानते हैं कि ''हम जिन समाजों में रह रहे हैं, वहाँ वैश्वीकरण और आर्थिक प्रक्रियाओं के लाभ का वितरण असाधारण तौर पर अनुचित तरीके से किया जा रहा है।''

भावी काम

इन सभी पवित्र बयानों का क्या मतलब है? ये सभी पूँजीवादी व्यवस्था के अभिन्न अंग के तौर पर होने वाले क्रूर शोषण, जो कि नवउदारवादी निजाम के तहत गहरा रहा है, पर पर्दा डालने की प्रयास भर ही है। वे लोगों को पूँजीवादी व्यवस्था और उसकी स्थिरता पर सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। वे लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बढ़ती असमानता 'पूँजीवाद का सख्त नियम' नहीं है और इसका समाधान पूँजीवादी व्यवस्था के अन्दर ही वैश्वीकरण की व्यापक नीति के तहत ही 'सही विकल्प' चुनने से ही किया जा सकता है।

मकसद यह है कि एक ओर मजदूरों, गरीबों और महिलाओं को यह दिखाना कि उनकी बहुत चिन्ता है तो दूसरी ओर पूँजीवादी व्यवस्था के शोषण एवं उसके भारी मुनाफों के लालच की रक्षा की जा सके। सामाजिक अशान्ति पर इस सारी बात का असली मकसद बड़ी कम्पनियों और वित्तीय पूँजी को चेतावनी देना है कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर जाने से पहले कुछ कदम उठाऐं।

वास्तविकता यह है कि आमदनी और धन की असमानता में वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी, लिंग असमानताऐं, गरीबी आदि को पूँजीवादी व्यवस्था में हल करना संभव नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था मुनाफाखोरी से प्रेरित है और स्वाभाविक तौर पर शोषक है। मजदूर वर्ग के पास शोषणविहीन समाज व्यवस्था अर्थात् समाजवादी समाज की स्थापना ही एक मात्र विकल्प है। जो हमें एक सदी पूर्व महान अक्टूबर क्रान्ति ने दिखाया था। लेकिन बार–बार और अत्यधिक गहराते संकट के बावजूद भी पूँजीवादी व्यवस्था स्वतः ढहने वाली नहीं है। इसे बाहर फैंकना ही पड़ेगा। पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके शोषणविहीन समाजवादी समाज की स्थापना करने में मजदूर वर्ग को नेतृत्वकारी भूमिका निभानी ही होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजदूर वर्ग के व्यापक हिस्सों को उनकी वर्गीय भूमिका के बारे में जागरुकता पैदा करते हुए उन्हे अधिक बड़े संघर्षों में लामबन्द करना होगा।

परियोजना कर्मी

सीटू के आह्वान पर
अभूतपूर्व देशव्यापी हड़ताल व आंदोलन

ए आर सिंधु

आंगनवाड़ी, आशा, मिड–डे–मील तथा एन आर एल एम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना आदि जैसी कई अन्य सरकारी परियोजनाओं के लाखों कर्मी देश के 23 राज्यों में 20 जनवरी, 2017 को हुई परियोजनाकर्मियों की देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। उनमें से लगभग 6 लाख कर्मियों ने सड़कों पर उतरकर मजदूर का वैधानिक दर्ज दिये जाने, न्यूनतम वेतन, पेंशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों तथा परियोजनाओं के लिए जरूरी आवंटन की मांग करते हुए राज्यों की राजधानियों व जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन किये। यह हड़ताल 26 से 30 नवम्बर, 2016 तक ओडिशा के पुरी में हुए सीटू के 15 वें सम्मेलन के आहवान पर की गयी; हड़ताल के पूर्व उसकी तैयारी के सिलसिले में अभियान और आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल जैसे बहुत से राज्यों में योजना कर्मियों को हड़ताल में शामिल होने पर सेवा से बाहर कर देने की धमकियां दी गयीं। लेकिन ऐसी धमकियों के बावजूद, न केवल योजना कर्मी हड़ताल में शामिल हुए बल्कि उन्होंने रैलियों व प्रदशनों में भी भाग लिया।

जैसा कि संयुक्त रूप से तय किया गया था– सीटू की फेडरेशनों– आंगनवाड़ी फेडरेशन (आईफा), मिड–डे–मील वर्कर्स फेडरेशन तथा आशाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने बेहतर वेतन और परियोजनाओं के लिए 2017–18 के बजट में जरूरी आवंटन की मांगो पर संयुक्त अभियान चलाया। नवम्बर–दिसम्बर में सांसदों को ज्ञापन दिये गये। कई जगहों पर सांसदों ने आकर ज्ञापन लिए और मांगो के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया। कुछ स्थानों पर परियोजना कर्मियों ने उन सांसदों का घेराव किया जो उनसे मिलने में आना–कानी कर रहे थे। आंगनवाड़ी, आशा व मिड–डे–मील कर्मियों ने जिला मुख्यालयों पर क्रमशः 19,20,व 21 दिसम्बर, 2016 को प्रदर्शन किए।

20 जनवरी की संयुक्त हड़ताल की राज्यवार रिपोर्टो के संदर्भ में आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब व पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं। (सीटू मजदूर; फरवरी, 2017) अन्य राज्यों की रिपोर्ट यहाँ दी जा रही हैं।

कर्नाटकः हड़ताल लगभग पूर्ण रही। 40,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मियों और लगभग उतने ही मिड–डे–मील कर्मियों ने रैली में भाग लिया।

केरलः आंगनवाडी, आशा व मिडे–डे–मील व शिशु धर परियोजनाओं के 44000 से ज्यादा कर्मियों ने पूर्ण राज्यव्यापी हड़ताल के बाद जिला स्तरीय रैलियों में भाग लिया।

महाराष्ट्रः 13 जिलों– चंद्रपुर, गढचिरौली, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुलढाना, नासिक, मुंबई, पुणे, सतारा, सोलापुर व जालना में हड़ताल पूर्ण थी। लगभग 11000 आंगनवाड़ी कर्मी हड़ताल पर थीं और उनमें से 4000 से अधिक ने रैलियों व प्रदर्शनों में भाग लिया।

गुजरातः 80,000 से अधिक आंगनवाड़ी व आशाओं ने हड़ताल में भाग लिया। 18 जिला मुख्यालयों पर हुई रैलियों में अभूतपूर्व 50000 परियोजना कर्मियों की भागेदारी हुई।

मध्यप्रदेशः जिला स्तर पर रैलियाँ हुईं जिनमें योजना कर्मियों की भागेदारी अभूतपूर्व रही।

छत्तीसगढः हड़ताली आंगनवाड़ी कर्मियों व सहायकों ने राज्य स्तरीय रैली आयोजित की। 9 जिलों से सैकड़ो कर्मियों ने रैली में भाग लिया। आईफा की सचिव संतोष रावल सीटू के राज्य नेताओं ने हड़ताली मजदूरों को संबोधित किया।

योजनाकर्मियों की मांगे

1. 45 वें आइ एल सी की सिफारिशें लागू करोः
   (अ) मजदूर की मान्यता दो;
   (ब) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध कम से कम 18000 रूपये मासिक न्यूनतम वेतन दो;
   (स) सभी योजना मजदूरों के लिए प्रतिमाह कम से कम 300 रूपये पेंशन,ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, चिकित्सा लाभ व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करो;
2. परियोजनाओं का निजीकरण मत करो;
3. 2017–18 के बजट में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए जरूरी वित्तीय आवंटन करो।

ओडिशाः आंगनवाड़ी, आशा, मिड–डे–मिल, सीटू की कृषक साथी यूनियनों ने राज्य परियोजना कर्मी समन्वय समिति के अन्तर्गत 14 जिलों से आयीं, 6000 से ज्यादा कर्मियों ने राज्य स्तरीय रैली में भाग लिया, प्रदर्शन व जनसभा की। जनसभा को सीटू के राज्य नेताओं व यूनियनों के नेताओं ने संबोधित किया। एक प्रतिनिमिंडल मुख्य सचिव से मिला और ज्ञापन दिया।

हड़ताल के आहवान का विभिन्न केन्द्रों, खंडो व जिलों में असर पूर्ण से आंशिक, अलग–अलग रहा।

झारखंडः करीब 1500 आंगनवाड़ी व 500 मध्याह भोजन कर्मियों ने गोड्डा जिले में तथा लगभग 1000 आंगनवाड़ी कर्मियों ने कोडरमा जिले में 20 जनवरी को अखिल भारतीय आह्वान पर हड़ताल की और प्रदर्शन किये। 2000 परचे बांटे गये।

असमः पूरे राज्य में हड़ताल संपूर्ण थी। सभी आंगनवाड़ी केन्द्र बंद थे। 21 जिलों में संयुक्त प्रदर्शन हुए। 2 जिलों में सेक्टरवार प्रदर्शन हुए।

अरूणाचल प्रदेशः अरूणाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी व आशा कर्मी पश्चिम सियांग जिले में हड़ताल पर थीं। लगभग 700 आंगनवाड़ी और 160 आशाओं ने जिला मुख्यालय पर संयुक्त प्रदर्शन में भाग लिया।

त्रिपुराः 20 जनवरी की योजनाकर्मियों की हड़ताल त्रिपुरा में पूर्ण थी। आशा व मिड डे मील के ऐसे कर्मी भी जो इनकी सीटू यूनियनों के सदस्य नहीं थे, हड़ताल में शामिल हुए। इस तरह 19,859 आंगनवाड़ी, आशा व 10,500 मिड–डे मील कर्मियों समेत राज्य के सभी 38,000 परियोजना कर्मी हड़ताल पर रहे। राज्य में आइ सी डी एस के सभी 9,900 केन्द्र बंद रहे। हड़ताल के दिन योजना कर्मियों ने रैलियां निकाली।

हड़ताल के लिए अभियान की शुरूआत सब डिवीजनों के योजना कर्मियों की अगरतला में हुई राज्य कन्वेंशन से हुई थी। कन्वेंशन को सीटू राज्य महासचिव शंकर दत्ता, सांसद, राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति तथा संबंधित यूनियनों की नेताओं ने संबोधित किया तथा इसमें अन्य जनसंगठन व लाभार्थी भी शामिल हुए। 10 हजार पोस्टर और 20000 परचे बांटे गये। 17 जनवरी को सीटू राज्य महासचिव शंकर दत्ता, सांसद, आंगनवाड़ी की नेता काजल सरकार व आशा यूनियन की नेहेरा बेगम ने एक संयुक्त प्रेस कांफेंस को संबोधित किया।

बिहारः बिहार राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन के बैनर तले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद, जहानाबाद अरवल व दरभंगा सहित 10 जिलों से लगभग 5000 हड़ताली आंगनवाड़ी कर्मियों ने पटना में 20 जनवरी को राज्य सरकार के सचिवालय पर प्रदर्शन व जनसभा की। सभा को सीटू राज्याध्यक्ष दीपक भट्टाचार्य, महासचिव गणेश शंकर सिंह, राज्य सरकार कर्मचारियों के नेता मंजुल कुमार दास व यूनियन के महासचिव शोभा सिन्हा ने संबोधित किया। प्रतिनिधिमंडल सचिव से मिला तथा मांगों का ज्ञापन दिया।

राज्य मिड–डे मील वर्कर्स यूनियन के बैनर तले समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, सीतामढी, बेतिया, मोतिहारी, लखीसराय, और सासाराम जिलों में हड़ताल कर प्रशासन के सामने प्रदर्शन किये गये। हड़ताल का दूसरे जिलों में भी असर रहा।

उत्तर प्रदेशः राज्य के 9 जिलों – मुरादाबाद, संभल, जालौन, झांसी, ललितपुर, चंदौली, सोनभद्र, सहारनपुर और इलाहाबाद में हड़ताल रही। करीब 1100 आंगनवाड़ी व 300 आशा व मिड–डे मील– कर्मियों ने प्रदर्शनों में भाग लिया।

उत्तराखंडः आंगनवाड़ी, आशा व मिड–डे मील कर्मियों ने संयुक्त हड़ताल व प्रर्शनों में भाग लिया। देहरादून में हड़ताली योजनाकर्मियों ने रैली निकाली, प्रतिनिधिमंडल ने नगर मजिस्टेट से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

हिमाचल प्रदेशः सीटू के आह्वान पर हुई योजनाकर्मियों की हड़ताल को राज्य में व्यापक समर्थन मिला और आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स तथा मिड–डे मील वर्कर्स यूनियन के बैनर तले हड़ताल पूर्ण रही। सभी 12 जिलों में 25 स्थानों पर व तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन, रैलिया व सभायें हुई तथा मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्य व केन्द्र सरकारों को दिये गये।

हड़ताल के लिए अभियान में योजनाकर्मियों के बीच 40,000 परचे बांटे गये, सभी जिलों में जिला, खंड तथा परियोजना समितियों की बैठकें की गयी।

दिल्लीः चार जिलों में हड़ताल हुई। जहांगीरपुरी में सभा हुई।

राजस्थानः 4 जिलों में 1100 परियोजना कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

हरियाणाः पहली संयुक्त परियोजना कर्मियों की हड़ताल को राज्य में जबरदस्त समर्थन मिला तथा हड़ताल सभी जिलों में पूर्ण रही। हड़ताली कर्मियों ने समूचे राज्य में रैलियां व प्रदर्शन किये।

हड़ताल की सफलता के लिए, तीनो यूनियनों ने अपनी अलग–अलग राज्य व जिला स्तरीय बैठकें की तथा सीटू जिला कमेटियों के साथ संयुक्त बैठकें की। कुछ जिलों में संयुक्त अभियान समूहों ने मजदूरों को लामबंद कर अखिल भारतीय आहवान के अनुरूप हड़ताल के पूर्व प्रदर्शन आयोजित किये।

जम्मू व कश्मीरः सभी आइ सी डी एस केन्द्र बंद रहे। कड़ाके की ठंड, भारी बर्फबारी तथा घाटी में तनावपूर्ण स्थिति के बाबजूद सीटू की जम्मू व कश्मीर राज्य कमेटी के बैनर तले सैकड़ों आंगनवाड़ी, आशा, मिड–डे मील, सी पी डब्लू एम (शिक्षा) वर्कर्स ने लाल चौक से मार्च निकाला जो श्रीनगर के प्रेस एन्कलेव पर एक जनसभा में बदल गया जिसे सीटू राज्य सह–सचिव अब्दुल राशिद नाजर, वरिष्ठ सीटू नेता मो. अफजल पैरी तथा संबंधित यूनियनों के नेताओं ने संबोधित किया।

जम्मू में प्रेस क्लब के पास एक संयुक्त प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी, आशा व मिड डे मील कर्मी तथा कंटिनजेंसी वर्कर्स शामिल हुए। प्रेस क्लब से एक रैली निकाली गयी जो इंदिरा चौक पर जाकर एक आम सभा में बदल गयी जिसे सीटू के राज्य अध्यक्ष मो यूसुफ तारिगामी, वरिष्ठ नेता श्याम प्रसाद केसर, महासचिव ओम प्रकाश तथा यूनियन के नेताओं ओम प्रकाश खजूरिया, रानी देवी, सुनीता भगत व कांता देवी ने संबोधित किया।

कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2017-18 के बजट आवंटन में सकुंचन

- आइ सी डी एस के लिए बजट आवंटन

2014–15– रू०. 18108 करोड;
2015–16– रू०. 15433.09 करोड;
2017–18– रू०. 15245.19 (12 वीं योजना में रू 30,025 करोड़ के मुकाबले)

- 2017–18 बजट आवंटन अन्य योजनाओं के लिए

मिड–डे–मील– रू०. 10,000 करोड;
एन एच एम (एन एच एम व एन यू एम बिना चिकित्सकीय शिक्षा)– रू० 21,940.7 करोड़

बजट कटौतियों के खिलाफ विरोध

बजट में योजनाओं के लिए होने वाले आवंटन में कटौती और योजनाओं व योजनाकर्मियों की उपेक्षा के खिलाफ विरोध करने के लिए योजना कर्मी सड़कों पर उतरे। अखिल भारतीय हड़ताल और पिछले वर्षो में लगातार किये गये संघर्षों के कारण ही संभवतया सरकार ने इस बजट में योजनाओं के लिए नकद हस्तांतरण लागू नहीं किया।

''आंगनवाड़ी कर्मियों के काम के हालातों की समीक्षा करने व पारिश्रमिक बढ़ाने के, भुला दिये गये भाजपा के चुनाव पूर्ण वादे को याद दिलाने तथा वर्तमान मोदी सरकार के जारी रवैये के खिलाफ; आईफा ने आंगनवाड़ी कर्मियों से अन्य योजना कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने, पुतले जलाने आदि के साथ 2 फरवरी, 2017 को देशव्यापी विरोध करने का आहवान किया। इस आहवान पर आंगनवाडी वर्कर्स व हैल्पर्स, आशा व मिड–डे–मील वर्कर्स ने नई दिल्ली में जंतर–मंतर पर एक संयुक्त मार्च आयोजित किया और प्रधानमंत्री का पुतला फूँका। अलग–अलग राज्यों में विरोध कार्रवाईयां चल रही हैं। जल्द ही आईफा, एम डी एम डब्ल्यू एफ आइ व ए आइ सी सी ए डब्लू बैठक कर आगे की कार्रवाई के बारे में तय करेंगी।

मुद्दो व आन्दोलन की उत्पत्ति

'परियोजनायें व परियोजना कर्मी'

भारत में सहस्राब्दि का पहला दशक माँगो को लेकर हुए बड़े जन आंदोलनों का गवाह बना। सीटू जैसे वर्गीय व जन संगठनों के नेतृत्व में 1991 से ये आंदोलन सरकार की नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ जारी संघर्षों का परिणाम थे। ये नीतियाँ भारत में आम आदमी की विपत्तियों, बदहाली व तमाम सामाजिक सुरक्षाओं को हटाने का कारण रही हैं। इन आंदोलनों ने सरकारों पर सामाजिक क्षेत्र में खर्च बढ़ाने, विशेषकर पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए, दबाव डाला। सरकार द्वारा विशेषरूप से यूपीए–1 सरकार द्वारा कई नई सरकारी योजनायें शुरू की गयीं, चालू योजनाओं को सार्वभौम व मजबूत किया गया।

लेकिन, सार्वभौम बुनियादी पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा (तथा कृषि व उद्योग के लिए भी अन्य बुनियादी सेवाओं) के लिए दूरगामी बुनियादी ढांचा तैयार करने के बजाय ये सब ''योजनायें'' ही रहीं जो एक अस्थायी प्रावधान है जिसमें जमीन पर सेवाओं को पहुँचाने का काम करने वाले 'स्वयंसेवक', 'कार्यकर्ता', अतिथि' आदि कहलाते हैं और उन्हें मामूली ''मानदेय' या 'प्रोत्साहन राशि' दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा का तो उनके लिए सवाल ही नहीं रहा। वर्तमान में लगभग 1 करोड़ मजदूर जिनमें अधिकांश महिलायें है, केन्द्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं जैसे समेकित बाल विकास सेवायें (आइ सी डी एस) (26 लाख), मध्याह्न भेजन योजना (27लाख), प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) (10 लाख), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम), राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना (एन सी एल पी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम), सर्व शिक्षा अभियान के कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय (एस एस ए), मनरेगा के रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, पंचायत सेवक आदि में कार्यरत हैं। ये मजदूर व सेवाओं के लाभार्थी, दोनों ही सामाजिक रूप से हाशिये पर पड़े तबकों से हैं।

परियोजना कर्मियों को संगठित करना

आंगनवाडी कर्मियों व सहायकों को संगठित करने का कार्य 1975 में आइ सी डी एस के शुरू हाने से ही जारी है। सीटू के तहत, बी टी आर, विमल रणदिवे, निरूपमा चैटर्जी जैसे नेताओं के नेतृत्व व दिशा निर्देशन में 1989 में गठित ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स 24 राज्यों में उपस्थिति रखने और सौदेबाजी की ताकत रखने वाली एक जुझारू ट्रेड यूनियन फेडरेशन के रूप में विकसित हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर, आईफा ने स्वतन्त्र व संयुक्त दोनों रूपों में मजदूरों के मुद्दों को उठाते हुए उनके लिए कुछ वित्तीय तथा अन्य लाभ प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।

आईफा के अनुभव तथा उसके मजबूत कैडर आधार का लाभ लेते हुए सीटू ने मजदूरों के अन्य तबकों विशेषतौर पर आशा वर्करों (एन एच एम के अन्तर्गत) तथा मध्याह भोजन कर्मियों (एम डी एम एस के तहत) संगठित करने की पहल की। 2009 में आयोजित कन्वेंशन में इनकी समन्वय समितियां गठित की गयी। जल्द ही आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया और सीटू ने नेतृत्व प्रदान करते हुए नवम्बर 2012 में नई दिल्ली में 'योजना कर्मियों' के 2 दिन के 'महापड़ाव' का आयोजन किया जिसमें करीब 37000 योजना कर्मियों ने हिस्सा लिया। इसमें उनकी मुख्य मांगो– मजदूर के रूप में मान्यता व नियमित किये जाने, न्यूनतम वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ योजनाओं को स्थायी बनाने को सामने लाकर ध्यान खींचा गया।

45 वें आइ एल सी का ऐतिहासिक फैसला

सम्मेलन के फौरन बाद हुई स्टैंडिंग लेबर कमेटी बैठक में सीटू महासचिव तपन सेन ने 'योजना कर्मियों' के मुद्दे को 45 वें श्रम सम्मेलन की कार्यसूची के रूप में प्रस्तावित किया जिसका सभी ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया। 45 वें श्रम सम्मेलन (मई 2013) ने सिफारिश की कि योजना कर्मियों को 'मजदूर' के रूप में मान्यता दी जाये, न्यूनतम वेतन दिया जाये तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित किये जायें। 46वें श्रम सम्मेलन (2015) ने भी इन सिफारिशों को दोहराया।

राजग सरकार-योजनाओं को ही बन्द कर देने की ओर

श्रम सम्मेलन की किसी भी सिफारिश को आज तक लागू करने की कोशिश नहीं की गयी है। इन योजनाओं को मजबूत करने के वादे के साथ सत्ता में आयी राजग सरकार ने पहले तो योजना आयोग को बंद कर दिया, और लगातार दो बजटों में बजट आंवटन में भारी कटौती की है। इस सरकार ने इन योजनाओं में से कई को सीधे तौर पर और कईओं को अपरोक्ष रूप से, निजीकरण के माध्यम से बंद करने का प्रस्ताव किया है। इनमें से कई योजनायों खाद्य सुरक्षा व शिक्षा का अधिकार जैसे वैधानिक लाभ प्रदान कर रही हैं।

सीटू ने सफल अखिल भारतीय हड़ताल के लिए योजना कर्मियों को बधाई दी

सीटू ने आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह भोजन, एन आर एल एम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना आदि के लाखों मजदूरों को, मजदूर की मान्यता, न्यूनतम वेतन, पेंशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों तथा इन योजनाओं के लिए समुचित बजटीय आवंटन की मांगों को लेकर 20 जनवरी, 2017 को देशव्यापी हड़ताल करने और विशाल प्रदर्शनों में सड़कों पर उतरने के लिए बधाई दी।

केरल

काजू मजदूरों का आंदोलन

लगभग 300 काजू मजदूर सीटू के राज्य व जिला नेताओं के साथ 16 दिसम्बर को 28 काजू कारखानों के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गये। 11 केन्द्रों पर भूख हड़ताल, 18 जनवरी को हुए सफल समझोते के आधार पर समाप्त हुई।

20 जनवरी को हजारों मजदूरों ने वी एल सी काजू फैक्टरी की ओर मार्च किया जहाँ भूख हड़ताल जारी थी। सीटू नेता पी के गुरूदासन ने विशाल रैली का उद्घाटन किया। रैली में विभिन्न वी एल सी कारखानों के सामनू भूख हड़ताल खत्म करने और एक ही स्थान पर – वी एल सी के कार्पोरेट ऑफिस के सामने 1 फरवरी से पुनः हड़ताल शुरू करने का फैसला किया गया। अलग–अलग केन्दों के नेताओं ने कई बार प्रबंधन के साथ मांगो पर चर्चा की। मंन्त्रियों और सीटू नेताओं मर्सी कुट्टी अम्मा व टी पी रामकृष्णन ने भी प्रबंधन के साथ चर्चा की। अन्ततः मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप तथा यूनियन के नेताओं व प्रबंधन के साथ चर्चा के बाद एक समझौते पर पहुँचा गया और फैसला किया गया कि 1 फरवरी से पहले वी एल सी कारखानों को पुनः खोल दिया जायेगा। 5 अन्य कारखानों में भूख हड़ताल अभी भी जारी है। इस बीच थेवलक्करा में भूख हड़ताल में भाग लेने वाले कामरेड राजन का देहान्त हो गया है। सी पी आइ (एम) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कोडियरी बालाकृष्णन नव सीटू के राष्ट्रीय व राज्य नेताओं ई पी जयराजन, एलामारम करीम, अनंथलावत्तम आनन्दन, पी के गुरूदासन, जे मर्सी कुट्टी अम्मा, पी नंद कुमार, के चन्द्रन पिल्लै, के जे थॉमस, कडकमपल्ली सुदेन्द्रन, एन पदमलोचनन नेद्रवत्तूर सुन्दरशन व अन्य भूख हड़ताल के विभिन्न चरणों में शामिल हुए।

उद्योग व क्षेत्र

सड़क परिवहन

मोटर वाहन शुल्क में वृद्धि के खिलाफ विरोध
परिवहन मजदूरों व संचालको का आंदोलन

सीटू की ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ए आइ आर टी एफ) की पहल पर परिवहन मजदूरों व ऑपरेटरों ने मोटर वाहन शुल्कों में भारी वृद्धि किये जाने के खिलाफ देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया। 29 सितम्बर, 2016 को केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेन्स, टैस्टिंग, पंजीकरण सर्टिफकेट जारी/नवीनीकरण करने, फिटनेस सर्टिफिकेट, पता बदलने, आर सी में बदलाव दर्ज कराने आदि के शुल्कों में 100 प्रतिशत से 800 प्रतिशत की वृद्धि करने की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में राज्य सरकारों को अतिरिक्त शुल्क थोपने की भी मँजूरी दी गयी।

इससे दुपहिया व निजी वाहनों समेत सभी वाहनों के मालिक प्रभावित होंगे। सबसे बुरा प्रभाव ऑटोरिक्शा व ट्रकों पर होगा क्योंकि उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट देने में देरी के लिए प्रतिदिन 50रूपया जुर्माना होगा और ऑटोरिक्शा मालिकों को असहनीय जुर्मानों के रूप में हजारों रूपये देने होंगे। वे न तो जुर्माना भर पायेंगे और न ही अपने वाहन को बेच पायेंगे क्योंकि ऐसे वाहनों को कोई नहीं खरीदेगा।

केरल में तिरूअनंतपुरम में 18 जनवरी को ट्रेड यूनियनों का एक विशाल विरोध मार्च राजभवन गया और वहाँ एक जनसभा में बदल गया जिसे ए आइ आर टी एफ के महासचिव के०के०दिवाकरन तथा सीटू, एटक, इंटक तथा उनकी परिवहन यूनियनों के नेताओं ने संबोधित किया। तमिलनाडु में 12 व 18 जनवरी को विशाल विरोध रैलियां हुईं। तेंलगाना में 19 जनवरी को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। आंध्रप्रदेश में 52 यूनियनों व ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मिलकर परिवहन उद्योग को बचाने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति गठित की। इस जे ए सी के आहवान पर 24 जनवरी को समूचे राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों में हजारों मजदूरों व छोटे मालिकों ने हिस्सा लिया।

असम में, 6 फरवरी को गुवाहटी में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। बिहार में 30 जनवरी को दिनभर विरोध प्रदर्शन किये गये। राजधानी पटना में 3 फरवरी को ॲटोरिक्शा हड़ताल पर रहे। ओडिशा, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में भी प्रदर्शन किये गये। महाराष्ट्र में परचे बांटे गये व पोस्टर लगाये गये। मध्यप्रदेश में ऑटोरिक्शा यूनियन ने प्रदर्शन आयोजित किये। ग्वालियर में ऑटोरिक्शा वालों ने 8 फरवरी को बंद रखा।

हिमाचल प्रदेश में जन विरोध कार्रवाईयों में 23–24 फरवरी को दो दिन की पूर्वनिर्धारित हड़ताल को मुख्यमंत्री द्वारा हस्तक्षेप कर आश्वासन देने के उपरान्त टाल दिया गया।

ए आइ आर टी एफ की ओर से उसके सचिवमंडल सदस्य आर लक्ष्मैया व राम आसरे यादव को 30 जनवरी को परिवहन मंत्रालय के सह–सचिव ने आश्वासन दिया कि 29 दिसम्बर की अधिसूचना की तारीख के पहले का जुर्माना नहीं लिया जायेगा। इस बारे में एक स्पष्टीकरण सूचना 3 फरवरी को जारी की गयी।

अब केन्द्र सरकार द्वारा एक टैक्सी नीति सभी राज्यों को लागू करने के लिए जारी की गयी है। मंशा, सड़क परिवहन क्षेत्र में बड़े कार्पोरेटों का प्रवेश कराने की हैं। इसका परिणाम टैक्सी, ऑटो व अन्य हल्की मोटर वाहन सेवाओं से जुड़े मौजूदा लाखों मजदूरों की आजीविका छिन जाने के रूप में होगा। नई नीति में टैक्सियों को इंटर–सिटी व इंट्रा सिटी स्टेज कैरिज के रूप में देखने की मंजूरी दी गयी है जिससे राज्य सड़क परिवहन निगमों, निजी बसों व मिनी बसों का वित्तीय संकट और भी बढ़ जायेगा जिससे बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। दिशा–निर्देश दुपहिया वाहनों को भी यात्री वाहन का दर्जा देते हैं। यह मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ टैक्सी सेवा में एग्रीगेटर्स को स्वीकृति देता है जबकि प्रस्तावित मोटर वाहन अधिनियम संशोधन संसद की स्थायी समिति की जाँच–पड़ताल में है।

(योगदानः के के दिवाकरन)

भारी निर्माण

मोदी सरकार की ब्रिज एंड रूफ कं.को बेचने की कोशिश

5 जनवरी को, सीटू महासचिव तपन सेन, सांसद ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की भारी निमार्ण मिनीरत्न ब्रिज एंड रूफ कं० लि० में 100 प्रतिशत इक्विटी को बेचने के सरकार के फैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए उसे बदलने की माँग की। उन्होंने राष्ट्र व राष्ट्रीय खजाने के हित में इस महत्वपूर्ण कंपनी के समयानुरूप आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत मदद देने की भी मांग की।

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले निवेश व सार्वजनिक संपदा प्रबंधन विभाग (डी आइ पी ए एम) ने ऐसा करने के लिए ब्रिज एंड रूफ कं• के प्रबंधन को तलब करने में उचित मंच को भी बाईपास किया। भारी निमार्ण के क्षेत्र में ब्रिज एंड रूफ कंपनी, आधार भूत ढ़ाचे, रक्षा व रेलवे की अहम जरूरतों को पूरा करती है। इसके पास समर्पित इंजीनियरों व कुशल श्रमशक्ति के साथ डिजाईनिंग व भारी निमार्ण की विशेषज्ञता है। कंपनी में 2,200 स्थायी तथा 15000 अस्थायी मजदूर हैं।

कंपनी ने 2015 में लाभ के साथ वापसी की और 2015–16 में उसे 1100 करोड़ रूपये के अच्छे खासे आर्डर मिले। ठीक इसी वक्त पर मोदी सरकार इसे निजी हाथों में सौपने की कोशीशें कर रही है।

कोलकाता में ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त विरोध

10 फरवरी को, सभी ट्रेड यूनियनों ने कोलकाता में ब्रिज एंड रूफ कंपनी के कार्पोरेट आफिस के सामने एक विरोध रैली की जिसमें मजदूर, इंजीनियर, अफसर शामिल हुए जो प०बंगाल में कार्पोरेट आफिस व कंपनी के काकद्वीप, हल्दिया तथा बर्धमान जिले के पालासिट में स्थित प्रतिष्ठानों से आये थे। रैली को सीटू के राष्ट्रीय व राज्य नेताओं श्यामल चक्रवर्ती, दीपक दासगुप्त व देबांजन चक्रवर्ती; इंटक नेता विश्वनाथ कोल; आइ एन टी टी यू सी नेता सुप्रिया अधिकारी; ब्रिज एंड रूफ एम्पलाइज यूनियन के महासचिव कमल बिस्वास ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता ब्रिज एंड रूफ आफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप चौधरी ने की। सभा के बाद मजदूरों–अधिकारियों–इंजीनियरों ने विरोध स्वरूप लिटिल रसेल स्ट्रीट को रोका।

यू आइ टी बी बी एशिया प्रशान्त नेतृत्व का सम्मेलन

ग्लोबल कंस्ट्रक्शन लेबर्स (यू आइ टी बी बी) एशिया–पेसिफिक रीजनल लीडरशिप कांफ्रेंस 10–12 दिसम्बर तक त्रिसूर केरल में हुई जिसमें वियतनाम, जापान, साइप्रस, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश व भारत के प्रतिनिधि शामिल हुए।

भारत से सीटू की सी ए डब्ल्यू एफ आइ और एक्टू के सदस्यों ने भाग लिया। केरल स्टेट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन के नेताओं ने बिरादराना प्रतितिनधियों के रूप में हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्धाटन सीटू राष्ट्रीय सचिव एलामारम करीम ने किया। यू आइ टी बी बी के महासचिव मिखालिया पापानिकोलोव ने रिपोर्ट पेश की। एशिया–प्रशान्त क्षेत्र में निर्माण मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की गयी और प्रस्ताव पारित किया गया। निर्माण मजदूरों को पर्याप्त वेतन व रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन के लिए, महिला मजदूरों के साथ भेदभाव के खिलाफ, समान काम के लिए समान वेतन, रोजगार सुरक्षा, प्रवासी मजदूरों के अधिकारों, परमाणु हथियारों पर रोक आदि के लिए भी प्रस्ताव पारित किये गये। हर राष्ट्र इस बारे में अभियान के बारे में तय करेगा।

11 दिसम्बर को हुई यू आइ टी बी बी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में 42 प्रतिनिधि उपस्थित थे, सीटू महासचिव तपन सेन ने बैठक को संबोधित किया। त्रिसूर व आस–पास के जिलों से आये निमार्ण मजदूरों की एक रंगारंग रैली आयोजित की गयी। सभी

प्रतिनिधियों का मंच पर स्वागत किया गया। जनसभा को मुख्यमंत्री पिन्नरायी विजयन व अन्य ने संबोधित किया।

(गणशक्ति से; 11 फरवरी)

कामकाजी महिला

संयुक्त परिपत्र

सीटू, एडवा, ए आइ एस जी ई एफ, सी सी जी इ डब्ल्यू, ए आइ आइ ई ए, बेफी, एफ एम आर ए आइ

सीटू, एडवा, ए आइ एस जी ई एफ, सी सी जी ई डव्ल्यू, ए आइ आइ ई ए, बेफी व एफ एम आर ए आइ के प्रतिनिधियों की एक बैठक 2 फरवरी, 2017 को बी टी आर भवन, नई दिल्ली में हुई। के हेमलता, ए आर सिंधु, ऊषा रानी व रंजना निरूला (सीटू), मरियम धावले, सुधा सुंदररमन, एस पुण्यवती व आशा शर्मा (एडवा), सविता मलिक (ए आइ एस जी ई एफ), आर शीलालक्ष्मी (सी सी जी ई डव्ल्यू), एम गिरिजा (ए आइ आइ ई ए), कल्याणी चक्रवर्ती (बेफी), ज्योति तिवारी तथा तरूणा चौहान (एफ एम आर ए आइ) ने बैठक मे भाग लिया।

बैठक में महिला मजदूरों के सामने आने वाले मुद्दों तथा कामकाजी महिलाओं के मुद्दो व मांगो पर एक संयुक्त आंदोलन विकसित करने पर चर्चा की गयी। बैठक में कुछ विशेष मांगों पर संयुक्त अभियान व कार्रवाईयों की संभावनाओं पर भी बात हुई। बैठक में निम्नलिखित मांगों पर एक संयुक्त अभियान व कार्यक्रमों पर एक संयुक्त अभियान व कार्यक्रमों पर सहमति बनी।

1. सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा के साथ उचित रोजगार महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य के साथ नीतियां बजटीय आवंटन, योजना कर्मियों सहित मौजूदा मजदूरों को उचित वेतन
2. वेतन, प्रोन्नति आदि समेत लैंगिक भेदभाव खत्म करो,
3. सभी कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ व शिशु घर,
4. सुरक्षित व सम्मानित कार्यस्थल (जिसमें कार्यस्थल पर यौनउत्पीड़न, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, रात्रि पाली कार्य, अलग शौचालय के प्रावधान आदि मुद्दों को संबोधित किया गया हो)
5. शहरों महिला मजदूरों के लिए सस्ते आवास, ठहरने की व्यवस्था व वहनीय तथा सुरक्षित परिवहन
6. महिलाओं व बच्चों के लिए भोजन का अधिकार/मूल्य वृद्धि रोको, बुनियादी सेवा योजनाओं के लिए पर्याप्त आवंटन करो।

बैठक में संयुक्त कार्रवाई पर भी सहमति बनीः

- राज्य स्तर संयुक्त बैठकें करने के उपरान्त जहाँ संभव हो जिले स्तर पर संयुक्त बैठकें। सीटू राज्य समितियां ऐसी बैठकों के आयोजन के लिए समन्वय करेंगी।
- 9 मार्च से 30 अप्रैल, 2017 तक उपरोक्त मोंगो पर संयुक्त अभियान। जरूरत के अनुरूप ठोस स्थानीय व क्षेत्र से संबंधित मांगे भी जोड़ी जा सकती हैं। अभियान में संयुक्त राज्य, जिला स्तरीय कन्वेंशन, बैठकें, रैलियां की जा सकती हैं, परचे बांटे जा सकते हैं, पोस्टर आदि लगा सकते हैं।
- जिला कलेक्टरों को 10 अप्रैल, 2017 को सौपें जाने वाले एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर इकट्ठा करना, जहॉ–जहॉ संभव हो।

K Hemalata
CITU

Mariam Dhawale
AIDWA

Sabita Malik
AISGEF

R Seelalakshmi
CCGEW

M Girija
AIIEA

Kalyani Chakraborti
BEFI

Jyoti Tiwari
FMRAI

नोटबंदी के खिलाफ अभियान

नोटबंदी के खिलाफ भुवनेश्वर, ओडिशा में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मार्च

तमिलनाडु: केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों – सीटू, एटक, एक्टू, एल पी एफ, इंटक और एच एम एस ने नोटबंदी के खिलाफ 23 नवम्बर को सभी जिलों में संयुक्त प्रदर्शन किये।

सीटू से जुड़ी मध्यम वर्ग के कर्मचारियों की यूनियनों व अन्य वर्गीय व जन संगठनों के 23 संगठनों के मंच, नकदी की कमी के खिलाफ कार्रवाई समिति के बैनर तले नोटबंदी के बारे में 29–30 जनवरी को राज्यव्यापी संयुक्त जन अभियान व 31 जनवरी को विशाल मानव श्रृंखला बनायी गयी।

जन अभियान कन्याकुमारी जिले के 100 केन्द्रों समेत 635 केन्द्रों में आयोजित हुआ। जन अभियान पांडिचेरी में ऑटो रिक्शा तथा धर्मापुरी व तिरूपुर मे दुपहिया द्वारा किया गया। इसमें, सीटू अध्यक्ष के हेमलता की नोटबंदी पर सीटू द्वारा प्रकाशित पुस्तिका की तमिल में 15000 प्रतियां सीटू राज्य मुख्यपत्र के ग्राहकों को मुफ्त बांटी गयी। वेल्लोर तिवेल्लोर व धर्मापुरी में लगभग 50,000 परचे बांटे गये, कन्याकुमारी, त्रिपुर, पुदुकोट्टई में लगभग 65000 परचें बांटे गये।

मानव श्रृंखला सभी जिलों में 42 केन्द्रों पर बनायी गयी। लगभग 25000 मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों व आम जनों ने इसमें भाग लिया। थंजावर में 3 और विरूद्धनगर जिलें में 2 केन्द्रों पर मानव श्रृंखला बनायी गई। सीटू राज्य महासचिव ए सौंदरराजन, महासचिव जी सुकुमारन, कोषाध्यक्ष मालती चिट्टिबाबू, ए आइ आइ ई ए राज्य अध्यक्ष स्वामीनाथन, बेफी राज्य महासचिव सी पी कृष्णन, एडवा राज्य महासचिव बाला, एस एफ आइ राज्य महासचिव उचिमक्कली व एक्शन कमेटी के अन्य नेताओं ने मानव श्रृंखला में भाग लिया।

(योगदान : के सी गोपी कुमार)

केरल: नोटबंदी का आम जनता व मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। रोजगार व आय के खत्म हो जाने से मजदूर मुश्किल स्थिति में जी रहे हैं। हजारों मजदूरों का रोजगार छिन गया है। सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर 3 जनवरी को 11 जिलों में विरोध रैलियां व जन सभायें की गयीं। 28 जनवरी को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने राजधानी तिरूवनंतपुरम में संयुक्त विरोध मार्च आयोजित किया जिसमें 7000 मजदूर शामिल हुए। जिला मुख्यालयों पर कासरगोड – 560 कन्नूर– 2200, वायनाड– 500, कोझिकोड– 1400, पलक्कड– 2100, मलप्पुरम –1200, त्रिसुर– 2500, एरनाकुलम– 1000, कोट्टायम– 500, इदुक्की– 2000, अलापुझा– 1500, पथानमथिट्टा– 1500 व कोल्लम में 2100 मजदूरों केन्द्र सरकार के कार्यालयों पर प्रदर्शनों में भाग लिया।

बिहार: केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशनों ने 28 जनवरी को नोटबंदी के खिलाफ पटना में संयुक्त विरोध मार्च किया जो गांधी मैदान के करीब भगत सिंह चौक से शुरू होकर आ बी आइ आफिस पर पहुँचकर जन सभा में बदल गया जिसे इंटक के राज्याध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह, एटक के राज्य सचिव चक्रधर प्रसाद सिंह, एक्टू के आर एन ठाकुर, ए आइ यू टी यू सी के प्रमोद तथा टी यू सी सी के नृपेन कृष्ण महतो ने संबोधित किया। सीटू के राज्य महासचिव गणेश शंकर सिंह ने जन सभा की अध्यक्षता की।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdk vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	न०व० 2016	fn0l0 2016
vk/k in'k	x.Vj	271	271
	gnjkckn	243	240
	fo'kk[kkiÝkue	277	275
	okjxy	285	284
vle	MeMek fruf[k;k	251	250
	xokgkVh	244	243
	ycd flYpj	260	259
	efj;kuh tkjgkV	245	240
	jxkikjk rtij	308	302
fcgkj	e?kj&tekyij	273	271
p.Mhx<	p.Mhx<	313	308
NÝhlx<	fHkykb	252	249
fnYyh	fnYyh	285	285
Xkkvk	xkvk	261	257
Xktjkr	vgenkckn	265	258
	Hkkouxj	272	270
	jktdkV	254	252
	lijr	267	258
	oMknjk	254	252
gfj;k.kk	Qjhnkckn	273	271
	;euk uxj	248	246
fgekpy	fgekpy çn'k	249	252
tEe ,o d'ehj	Jhuxj	252	348
>kj[k.M	ckdkjk	303	299
	fxfjMhg	321	317
	te'knij	307	302
	>fj;k	325	323
	dkMek	313	307
	jkph gfV;k	280	279
dukVd	cyxke	278	279
	cxykj	293	292
	gcyh /kkjokM	285	283
	ejdjk	281	283
	elij	269	272
djy	,.kkdlye@vyob	282	285
	e.MkD;ke	297	303
	fDoyku	273	269
e/; çn'k	Hkkiky	285	281
	fNnokMk	255	251
	bnkj	277	276
	tcyij		

jkT;	dsn	न०व० 2016	fn0l0 2016
egjk"V	eEcb	285	282
	ukxiij	311	303
	ukfld	289	288
	i.k	280	276
	'kkykiij	294	295
mMhlk	vkxy&rkypj	293	291
	jkmjdyk	300	290
ikfMpfj	ikfMpfj	287	288
ijtkc	verlj	279	273
	tkyU/kj	275	274
	yf/k;kuk	277	277
jktLFkku	vtej	255	257
	HkhyokMk	272	267
	t;ij	264	264
rfeyukM	pUu	250	252
	dk;EcVj	248	247
	dUuj	272	272
	enjkb	263	261
	lye	260	261
	fr#fpjkiYyh	243	240
f=ijk	f=ijk	285	284
mÝkj çn'k	vkxjk	253	250
	xkft;kckn	299	294
	dkuij	275	272
	y[kuÅ	290	285
	okjk.klh	279	271
if'pe cxky	vklulky	285	279
	nkftfyx	305	303
	nxkiij	265	263
	gfYn;k	303	300
	gkoMk	307	305
	tkyikbxMh	267	262
	dkydkrk	270	266
	jkuhxt	263	260
	flyhxMh	254	253
		262	260
vf[ky Hkkjrh; lpdk		277	275

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citubtr@gmail.com
  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

हरियाणा

हरियाणा के भिवानी जिले के हजारों खदान मजदूरों व ग्रामीणों ने, पत्थर खदानों में खदान गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका को जारी रखने की माँग को लेकर 15 फरवरी को स्थानीय नेहरू पार्क में सभा की, जुलूस निकाला, उपायुक्त के समक्ष प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। भाजपा सरकार ने इन खदानों को मशीनों से काम करने वाली कंपनियों को सौंप दिया है।

मजदूरों के आन्दोलन का सीटू के राज्याध्यक्ष सतबीर सिंह, निर्माण मजदूर यूनियन के नेता सुखबीर सिंह, विभिन्न जन संगठनों के स्थानीय नेताओं, राजनीतिक दलों व निर्वाचित प्रतिनिधियों ने समर्थन किया।

11 फरवरी को सीटू की आशा व मिड–डे–मील कर्मियों की यूनियनों ने ज्यादातर जिलों में भाजपा के मंन्त्रियों व विधायकों के निवास–स्थानों के बाहर संयुक्त प्रदर्शन किये व वेतन वृद्धि की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपें। हरियाणा सरकार ने 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर अस्थायी मजदूरों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है लेकिन योजना कर्मियों को छोड़ दिया गया है।

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/15-17 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No. U(C)-38/2015-2017 (Date of Publication - 5/12/2016)

22 दिसम्बर का आंदोलन

समान काम के लिए समान वेतन

औरंगाबाद,महाराष्ट्र

डूंगरपुर, राजस्थान

विशाखापट्टनम, आंध्रप्रदेश

वारंगल, तेलंगाना

मोहाली, पंजाब

केरल

पोर्ट व डॉक मजदूर, मुंबई

कोयला मजदूर, भुवनेश्वर

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : के हेमलता